छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **दशम् सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021

(फाल्गुन 07, शक सम्वत् 1942)

[अंक 05]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2021

(फाल्गुन 7, शक सम्वत् 1942)

विधानसभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिहावा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सोंढ़ूर जलाशय के नहर निर्माण हेतु अधिग्रहित जमीन का क्षतिपूर्ति

1. (*क्र. 517) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र सिहावा, नगरी में स्थित सोंढ़ूर जलाशय के नहर का निर्माण कब और कितने रकबे में किया गया है? उक्त जलाशय एवं नहर के लिए कितने किसानों के कितने-कितने रकबे का अधिग्रहण किया गया है, ग्रामवार, किसानवार जानकारी देवें? (ख) उक्त जलाशय के नहर के लिए अधिग्रहित जमीन की क्षतिपूर्ति का क्या प्रावधान था? क्या अधिग्रहित की गई जमीन मालिकों को प्रावधान अनुसार क्षतिपूर्ति दी गई है? यदि हां, तो किन-किन गांवों के किन-किन किसानों को कितनी-कितनी राशि क्षतिपूर्ति दी गई? क्या वर्तमान समय में नहर निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क)विधानसभा क्षेत्र सिहावा, नगरी में स्थित सोंढ़ूर जलाशय के नहर का निर्माण वर्ष 1988 में 353.926 हेक्टेयर रकबे में किया गया है. जलाशय निर्माण हेतु 05 ग्रामों के 200 किसानों का 304.43 हेक्टेयर (751.94 एकड़) तथा नहर निर्माण हेतु 68 ग्रामों के 1652 किसानों के 353.926 हेक्टेयर (874.6 एकड़) निजी भूमि अधिग्रहित किया गया है. ग्रामवार एवं कृषकवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "ब" में दर्शित है. (ख) उक्त जलाशय के नहर के लिए अधिग्रहित जमीन की क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि भुगतान का प्रावधान था. जी हां. सोंढ़ूर जलाशय के नहर निर्माण के लिये अधिग्रहित जमीन की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा राशि देने के प्रावधान अनुसार जमीन मालिकों को मुआवजा राशि प्रदान की गई है. नहर निर्माण हेतु ग्रामवार, किसानवार, क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" में दर्शित है. जी हां. वर्तमान में नहर के जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य को ग्राम अरसीकन्हार के कृषकों द्वारा मुआवजा भुगतान की मांग हेतु बाधित किया गया है. ग्राम अरसीकन्हार में नहर का निर्माण वनभूमि में किया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया है. उक्त भूमि वन विभाग द्वारा वर्ष 1978-79 में हस्तांतरण किया गया है. जिसका वन विभाग को भुगतान किया जा चुका है. जिसकी छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र “स” में है.

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है लेकिन अभी भी अरसीकन्हार के लोग सोंढूर डेम की ऊंचाई को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अरसीकन्हार की जो जमीन है, वह वन विभाग की है और उसको मुआवजा सौंप दिया गया है। मैंने जिला प्रशासन और एरिगेशन विभाग के प्रमुख से भी बात की। जिला प्रशासन ने कहा कि यदि कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं तो एफ.आई.आर. दर्ज करो लेकिन अभी भी वे अधिकारी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कर रहे हैं और काम ठप्प पड़ा हुआ है। एक साल से पानी नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न पूछिये प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की ही समस्या बता रही हूं।

अध्यक्ष महोदय :- समस्या नहीं, प्रश्नकाल है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- प्रश्न का उत्तर मिल गया है।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि अगर एक साल और पानी नहीं देंगें तो यह 100 गांवों के किसानों का मामला है। 100 गांव के लोग आक्रोश हो जायेंगे। माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहती हूं कि समस्या को सुलझा करके निर्माण कार्य शुरू किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- साथ में धन्यवाद कह दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- उनको धन्यवाद कहने दे दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात तो यह है कि यह 1978 की स्वीकृत योजना है और उससे हम पानी दुधावा से गंगरेल तक लाते हैं। 1978 के डिस्पुट पर अगर आज प्रश्न हो रहा है और विभाग जानाकारी दे रही है तो आप विभाग को धन्यवाद दीजिए। 1978 की डाक्यूमेंट तो खोजने पर नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय :- विधायक जी, धन्यवाद दे दीजिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मंत्री जी धन्यवाद।

श्री रविन्द्र चौबे :- दूसरी बात, माननीय सदस्या जानना चाहती हैं उसमें अभी लाईनिंग का काम चल रहा है उसी पर गांव वालों ने आपत्ति की है। क्षतिपूर्ति जैसे मांग की है। अब दो प्रकार से प्रावधान थे, जो डूबान का क्षेत्र था उसमें क्षतिपूर्ति का प्रावधान था, लोगों ने उसमें क्षतिपूर्ति प्राप्त किया है। जिन लोगों ने जमीन के बदले सहमति दी थी, पांच-पांच एकड़ जमीन दिया गया था, जिन्होंने जमीन नहीं दी थी तो उसके समतुल्य उनको राशि आबंटित किया गया था। लेकिन यह केनाल जहां से निकल रहा है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जहां गांव वालों की आपत्ति हैं, वह भूमि ही उनकी नहीं है। वन भूमि को एरिगेशन ने इक्वायर किया था। उसमें वे लोग आपत्ति कर रहे हैं तो जिला प्रशासन को ऐसे भी निर्देश हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से यह लंबित काम है। अध्यक्ष जी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इसको हम लोग कर पाने में सफल होंगे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मंत्री जी, धन्यवाद।

जिला बीजापुर में पशु नस्ल सुधार हेतु प्राप्त आवंटन एवं व्यय

2. (*क्र. 607) श्री विक्रम मण्डावी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीजापुर जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ? (ख) प्राप्त आवंटन का उपयोग कहां एवं किन-किन सुधार कार्यक्रमों में किया गया? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) बीजापुर जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु राशि का निम्नांकित अनुसार आवंटन प्राप्त हुआ :—

वर्ष	प्राप्त आवंटन राशि
2019-20	6.05 लाख
2020-21 (जनवरी 2021 तक)	5.00 लाख

(ख) जानकारी परिशिष्ट में †[1] संलग्न है.

श्री विक्रम मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जिले में पशु नस्ल आबंटन के बारे में प्रश्न किया था, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है, मैं उससे संतुष्ट हूं। लेकिन माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो राशि आपने 2020-21 में दिया था, वह राशि बहुत कम है। उस राशि को बढ़ाया जाये ताकि कृषकों और वहां के ग्रामीणों को उसका लाभ मिल सके।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, अब जो प्रश्न किया गया था, उसके उत्तर से संतुष्ट हैं। आगामी समय में राशि बढ़ाया जाये। अभी हम लोगों ने कुछ जगह डी.एम.एफ. से अलग-अलग कार्य कर रहे हैं। आपके यहां कि कुछ वेटनरी चिकित्सकों की नियुक्ति भी डी.एम.एफ के माध्यम से किया गया है। लेकिन अभी इस साल जिस तरीके से बजट आ रहा है, एक दो दिन बाद आपको पता लग जायेगा। लेकिन निश्चित रूप से बस्तर हमारी प्राथमिकता में है और विशेष रूप से बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा है। इन क्षेत्रों

[1] † परिशिष्ट एक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

में हम निश्चित रूप से योजना भी बनायेंगे और आप जिस तरीके से चाहते हैं, उस तरीके से काम भी होगा।

<u>गौठान के विकास और रखरखाव हेतु राशि का प्रबंध एवं व्यय</u>

3. (*क्र. 547) श्री अजय चन्द्राकर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने गौठान के विकास और रख-रखाव के लिए, राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु देशी और विदेशी मदिरा (स्प्रिट) बिक्री कर पूर्ति करने के संबंध में अधिसूचना कब एवं कितने रुपये की दर से जारी की है? (ख) उक्त मद से 31 जनवरी, 2021 तक कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कितनी राशि प्राप्त हुई? (ग) उक्त प्राप्त राशि से कितनी राशि गौ-धन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में व्यय की गयी? जिलेवार अलग-अलग बतावें? (घ) उक्त मद से कितनी राशि गौठान के विकास और रखरखाव हेतु व्यय की गयी? जिलेवार बताने का कष्ट करें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां। राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-30/2020/वा.क.((आब.)/पांच (17) दिनांक 16.03.2020 द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गौठान के विकास तथा रखरखाव के लिये राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु देशी और विदेशी मदिरा (स्प्रिट) (नयूनतम ड्यूटी दर) के फुटकर विक्रय दर पर प्रति नग (बोतल, अध्दा एवं पाव) रूपये 5/- की द से "अतिरिक्त आबकारी शुल्क" अधिरोपित किया गया है। (ख) उक्त मद से 31 जनवरी, 2021 तक कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग को गोबर खरीदी की राशि के भुगतान हेतु राशि रू. 350.00 लाख प्राप्त हुई है।
(ग) उक्त प्राप्त राशि से राशि रू. 331.357 लाख गोधन न्याय योजना के तहत् गोबर खरीदी में व्यय हेतु जिलों को प्रदाय की गई। जिलावार विवरण परिशिष्ट-1 में है। (घ) प्रश्नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गौठान योजना और गोधन योजना अलग-अलग है कि एक है। गोधन न्याय के लिये आपको जो राशि साढ़े तीन लाख रूपये प्राप्त हुई, वह किस विभाग से प्राप्त हुई ? किस तरह प्राप्त हुई, किस विभाग से प्राप्त हुई ?

श्री रविन्द्र चौबे:- एक तो आप सुधार लीजिये कि गोधन न्याय योजना है, गोधन अन्याय नहीं है, जो अपने कहा। दूसरी बात यह है कि गौठान हमारी कार्ययोजना है, हम गौठान बना रहे हैं। गोधन न्याय गौपालकों को दिए जाने वाली सुविधा है, राशि है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दोनों अलग-अलग योजना है न?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप जिस प्रश्न की ओर जा रहे हैं, उसके पैसे से गौठान का भी काम लिखा हुआ है, गोधन न्याय योजना कहिये। आप कहेंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शराब में तीन तरह के सेस लगाये गये हैं अधिसूचना में स्पष्ट लिखा गया है, जो कृषि के लिए अधिसूचना जारी हुई, उसमें लिखा है कि गौठान विकास एवं रखरखाव के लिए राशि की प्रतिपूर्ति हेतु देशी-विदेशा मदिरा के फुटकर विक्रय पर प्रति नग 5 रूपये की दर से अतिरिक्त शुल्क आरोपित करता है। तो गौठान विकास में कितना पैसा खर्च किए हैं, इस प्रश्न में निरंक है। जो वह गौधन न्याय योजना बता रहे हैं, वह अलग है। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि शराब में भी दो तरह के सेस लगाये गये हैं। कोविड के उपकरण उन्नयन के लिए और कोविड की व्यवस्था के लिए लगाये गये हैं। लेकिन कोविड में आज तक एक रूपया स्वास्थ्य विभाग को नहीं दिया गया है। मेरी जानकारी के हिसाब से गौठान के लिए 150 करोड़ रूपया एकत्र है और उसमें खर्च न करके इसका दुरूपयोग कर रहे हैं, जो सेस की मूल भावना के खिलाफ है। इनको जो 350 लाख रूपया आावंटित हुआ है, वह गौठान के लिए गौधन न्याय के लिए उपयोग नहीं हो सकता है। मैंने इसलिए पूछा कि गौधन न्याय के लिए 350 लाख रूपया किससे कब प्राप्त हुआ ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, पहली बात तो अजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, यह आपने स्वीकार किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने महत्वपूर्ण योजना नहीं कहा है। देखिये, बात को इधर-उधर मत घुमाईये। मेरी तो सीधी सी बात है कि 150 रूपया गौठान विकास के लिए है, वह पैसा कहां है ? आपको 350 लाख रूपया मिला है। बाकी पैसे कहां है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने असल में पूछा था कि विभाग को उक्त राशि में से कितनी राशि गौधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी हेतु है, तो उक्त में से 350 लाख रूपये का जो बार-बार जिक्र कर रहे हैं, तो पहले यह समझ लीजिये कि इसके पहले इसका नोडल डिपार्टमेंट रूरल डेवलपमेंट विभाग था और गौधन न्याय योजना के तहत गौठान निर्माण के तहत इस राशि को खर्च करने का काम इनके विभाग द्वारा भी किया गया है। आप दोनों को एक साथ पूछते। आपने केवल कृषि विभाग को प्राप्त राशि के बारे में जानकारी चाही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीधे-सीधे घुमाने वाली बात है। मंत्रिमण्डल के संयुक्त जिम्मेदारी है कहकर ये कभी-कभी दूसरे के लिए खड़े होते हैं। मेरा प्रश्न बहुत स्पेसीफिक प्रश्न है। आपने बताया, लेकिन दोनों योजना अलग-अलग है। सेस की राशि का आप दूसरी योजना में खर्च कर ही नहीं सकते, यह जांच का विषय है। यानि गौठान के विकास के लिए सेस लगाया है तो गौधन खरीदी में उसका उपयोग नहीं हो सकता है। अब मेरा यह कहना है कि आपको 350 लाख रूपये आवंटन किसने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया ? इसी सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नरवा, घुरवा, गरूवा,बारी, जो गौठान है, उसके लिए नोडल डिपार्टमेंट कृषि विभाग है। आप बाद में किस विभाग को दिए, इसकी जिम्मेदारी है, आपकी संयुक्त जिम्मेदारी है। परन्तु यह आवंटन किससे प्राप्त हुआ, किस तरह की डिमांड भेजी, आपको कौन से विभाग ने पैसा दिया ?

अध्यक्ष महोदय :- सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वे भी विद्वान हैं और जो उत्तर दे रहे हैं वे भी माननीय मंत्री विद्वान हैं। यहां दो ही तो विद्वान हैं। आप दोनों विद्वान लोग लड़िये मत।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत सबसे ज्यादा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, प्रश्नकर्ता जो प्रश्न कर रहे हैं, वह समझ भी रहे हैं कि इस राशि का किस तरीके से कलेक्शन हुआ। आप भी 15 साल सरकार में थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मुझे यह कहानी क्यों सुना रहे हैं ? मैं जो पूछ रहा हूं, वह बताओं न ?

श्री रविन्द्र चौबे :- फिर से पूछो।

श्री अजय चन्द्राकर :- इनको 350 लाख रूपये का आवंटन किस विभाग से मिला, किस विभाग से डिमांड किया ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, आबकारी ने सेस की राशि का कलेक्शन किया तो सरकार के खाते में ही जाता है, ट्रेजरी में जाता है और जब-जब जरूरत पड़ती है, उस राशि का उपयोग किया जाता है। कलेक्शन तो आबकारी विभाग से हुआ और कृषि विभाग ने खर्च किया, आपने तारीख का पूछा है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब ये विषय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। सेस में पूरे छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रूपये एकत्र हुआ और स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिला। जिस मांग के लिए इन्होंने सेस किया वह इनको नहीं मिला और सेस की राशि का दुरूपयोग हो रहा है। माननीय मंत्री जी, आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि जो सेस लगा है वह विषय से बाहर खर्च किया जा सकता है क्या? जिस विषय के लिए लगा है उससे बाहर खर्च किया जा सकता है क्या? देखिए, मैं दूसरी बात बता देता हूं। इस सेस को अपने राजस्व घाटा में कमी करके दिखा रहे हैं, ये कानूनन हो ही नहीं सकता कि सेस को दूसरे मद में खर्च किया जाए और यह सरकार वह कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर वित्तीय अनियमितता है। मैं तो आपसे इसीलिए कहा कि बड़ा विषय है कि सेस के पैसे कहां हैं, किस-किस मद में लगाए गए, किसमें आवंटित हुए, उस पर जे.पी.सी. जांच होनी चाहिए। यह बड़ी अनियमितता है, बड़ी गंभीर बात है। प्रश्न छोटा है यह विषय नहीं है, राज्य हित में राजस्व घाटे को, दूसरे मद के पैसे को कम करके दिखाया जा रहा है। यह जनता के पैसे की लूट है और यदि सेस का

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सही उपयोग नहीं होता, सेस एक तरह से टैक्स माना जाता है, आप सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो सेस को खत्म कीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें प्रश्न कहां है?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि इसमें जांच बिठाई जाए कि सेस का पैसा कहां है और कहां उपयोग हो रहा है? यदि सिर्फ कृषि विभाग का है तो गौठान विकास का पैसा अभी तक कृषि विभाग को क्यों नहीं मिला?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नंबर एक कि इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तेजित मैं बिल्कुल नहीं हूं। फेर मत घुमा तेहं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कि जे.पी.सी. जांच की बात आ गई।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हॉं, 500 करोड़ रूपये का मामला है ना।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे मालिक, इसमें कुल कलेक्सन जो हुआ है 155 करोड, 92 लाख, 55 हजार है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ गौठान का है। कोविड का और जोड़ लो सेस में।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड का उत्तर मैं क्यों दूंगा भाई?

अध्यक्ष महोदय :- इसमें कोविड नहीं आयेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मत आए लेकिन सेस तो आयेगा ना। वह 155 करोड़ रूपये का हिसाब दे दें कि वह कब से लगा है और अभी तक 155 करोड़ रूपये का उपयोग क्या हुआ है? 350 लाख रूपये आपने उपयोग किया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो साबित हो गया ना कि मैंने 155 करोड़ रूपये कहा और आपने 500 करोड़ रूपये से अधिक वसूली कहा। पांच गुना कहा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूरा कोविड। ज्वाईंट रिस्पांसिबिलिटी आप ही बोलते हैं। तीन सेस लगा है, दो कोविड के लिए और आपका जो गौठान के लिए उसको जोड़वा लीजिए यदि 500 रूपये से कम निकलेगा तो शर्त आप लगा लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप कृषि विभाग का उत्तर दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है कोविड को जोड़ लेते तो ज्वाईंट रिस्पांसिबिलिटी में उससे भी मंगवा लेते। अभी धरम भैय्या का आगे एक प्रश्न लगा हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो आपको घुमावदार बोलते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, घुमावदार नहीं है। आपने केवल कृषि विभाग का पूछा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा, कृषि विभाग में 155 करोड़ रूपये आपको प्राप्त हुआ है उसमें 350 लाख रूपये आपको मांगने में मिले, बाकी पैसे कहां खर्च हुए ये बताईये?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, अब बता देता हूं। वित्त विभाग से ग्रामीण गौठानों के विकास एवं रखरखाव, गोधन न्याय के.... ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा पढ़ रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो पूरा पढ़ूंगा ना। जिसमें-जिसमें खर्च हुआ है आप ही पूछ रहे हो और आप उत्तर भी नहीं चाहते तो कैसे काम चलेगा। क्या पढ़ा हुआ माना जाए?

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने कक्ष में उनको नहीं बता पायेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कहा तो इसका तो उत्तर देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- कक्ष में समझा सकते हैं तो प्रश्नकाल बच जायेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो आपने गौठान में मुझको निरंक दे दिया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस तारीख का पूछा वह उस तारीख का है। पूरा खर्च बताऊंगा ना। आपने स्पेशिफिक तारीख डाला हुआ है कि इस तारीख तक तो उस तारीख तक केवल 3 करोड़ रूपये ही आये थे। उसके बाद लगातार खर्च हो रहा था।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 20 दिन निकले हैं मैं पूछा हूं उसमें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हॉ, तो केवल 4 किस्त ही कृषि विभाग दिया है पहले रूरल डेवहलपमेंट देता था। उस पैसे को खर्च करने का माध्यम पहले ग्रामीण विकास विभाग होता था।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग कोर्ट में जायेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे खर्च का ब्यौरा दे दूं? यदि जरूरत नहीं है तो मैं उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- रख दीजिए। उपलब्ध करा दीजिएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मिसरी भैय्या से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय:- किससे?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मीठ भैय्या। ये अधिसूचना जो जारी हुई है उसमें लिखा है कि गौठान के विकास तथा रख रखाव के लिए राशि की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय दर पर प्रतिनग 5 रूपये की दर से अतिरिक्त आबकारी शुल्क अधिरोपित किया जायेगा। माने क्लीयर है कि गौठान के विकास हेतु किया जावेगा। मैं केवल माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अतिरिक्त शुल्क जो लगाया गया है, जिस परपस से लगाया गया है उस परपस से बाहर जाकर खर्च करने का अधिकार सरकार को है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- लगभग यही प्रश्न तो उनने भी पूछा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस परपस के लिए लगाया गया है उसी परपस में खर्च किया जा रहा है। यह पहली बात है। गोधन न्याय और गोबर खरीदी को अगर आप गोठान से परे रखकर देख रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। हम गोधन न्याय को भी गोठान से जोड़कर, गोठान विकास करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका आदेश है क्या?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उसका भी आदेश दे देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है कि जो अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाया गया है वह अन्य परपस के लिए खर्च किया जा सकता है क्या ? आप हां या ना में उत्तर दे दें कि यह खर्च किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस परपस के लिए शुल्क लगाया गया है उसी परपस के लिए खर्च किया जा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अन्य परपस के लिए खर्च किया जा सकता है क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वह खर्च किया जा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अन्य परपस के लिए खर्च किया जा सकता है क्या ? यह पूछ रहा हूँ? क्या आप उस परपस के बाहर जाकर खर्च कर सकते हैं क्या ? आप यह बताईये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इसमें बाहर नहीं जा रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत प्वाईंटेड प्रश्न कर रहा हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन भईया, आपका गोबर खरीदी से इतना विरोध क्यों है?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत प्वाईंटेड प्रश्न कर रहा हूँ। मंत्री जी बात दें कि जिस परपस से लगाया गया है उस परपस के बाहर जाकर खर्च कर सकते हैं क्या? आप हां या नहीं में जवाब दे दें ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नेता प्रतिपक्ष(श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके घर में गाय है, उनके घर में गौशाला है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों को पैसा मिल रहा है। आप इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं हम विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने भी प्वाईंटेड उत्तर दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो केवल जानकारी चाहते हैं कि वह अन्य परपस के लिए खर्च किया जा सकता है क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि गड़करी जी सुनेंगे तो आप लोगों की पेशी लगा देंगे। मैं दो रूपये में खरीदी कर रहा हूँ। गड़करी जी ने कहा है कि 5 रूपये में खरीदी की जायेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसकी पेशी लगायेंगे, वह लगाने दीजिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने भी प्वाईंटेड उत्तर दिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बहुत प्वाईंटेड प्रश्न किया है कि जिस परपस से लगाया गया है उस परपस से बाहर जाकर खर्च कर सकते हैं क्या ? केवल हां या ना में उत्तर दे दें। यदि खर्च कर सकते हैं तो हां, नहीं तो ना। केवल इतना बता दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कह रहा हूँ कि उसी परपस के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि आप उस परपस से बाहर जाकर खर्च कर सकते हैं क्या ? आपको दूसरे परपस में खर्च करने का अधिकार है क्या ? केवल हां या ना में उत्तर दे दें। आप बार-बार कह रहे हैं कि उसी परपस में खर्च कर रहे हैं। नहीं। ये वित्तीय अनियमितता का मामला है। उस परपस से बाहर जाकर खर्च नहीं कर सकते हैं और यह गौठान के लिए अतिरिक्त शुक्ल लगाया गया और यह खर्च दूसरे मदों में किया जा रहा है। मंत्री जी इसीलिए घुमावदार उत्तर दे रहे हैं। मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूँ आप केवल हां या ना में उत्तर दीजिए। उस परपस से बाहर जाकर खर्च कर सकते हैं क्या ? आप यह बता दीजिए? माननीय मंत्री जी का उत्तर तो आ जाए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर दे दिया। मैं दे देता हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल हां या ना में उत्तर दे दीजिए कि आप उस परपस से बाहर जाकर खर्च कर सकते हैं क्या ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अजय चन्द्राकर जी, एक प्रश्न को लगभग 30 मिनट तक खिंचते हैं। बाकी सदस्यों के भी प्रश्न लगे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी लोगों को भी प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उत्तर दिलवाना शुरू करें। आप सेस लगाओ कहीं और खर्च करो कहीं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय शिवरतन जी, मैंने फिर हां कहा है। हम जिस परपस के लिए लगाया गया है उसी परपस के लिए खर्च कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पूछा है कि आप वह दूसरे परपस के लिए खर्च कर सकते हैं क्या ? आप हां या ना में उत्तर दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हम लोग उसी परपस के लिए खर्च कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर ही नहीं आ रहा है। ये सीधा-सीधा घूमाने वाली बात कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप दूसरे परपस में खर्च कर सकते हैं क्या ? मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है आप बोलिए नहीं कर सकते हैं। आप हां या ना में उत्तर दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गोठान अलग है और गोधन न्याय योजना अलग है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो जान रहा हूँ, उसको मैं बताऊंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। आप दूसरे परपस के लिए खर्च कर की आवश्यकता क्या है? आप यह बताईये ? उनको यह पूरक प्रश्न करने का अधिकार है आपको इसका जवाब देना चाहिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या गोबर, गौठान से अलग है

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप दूसरे परपस के लिए खर्च कर रहे हैं ? मैंने आपसे पूछा है कि जो अतिरिक्त आबकारी शुल्क अधिरोपित किया गया है वह अन्य परपस के लिए खर्च किया जा सकता है क्या ? आप वह बता दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गोठान अलग है और गोधन न्याय योजना अलग है। आप उसको घुमावदार मत करिये। मैं वही प्रश्न फिर करूंगा। गोठान अलग है और गोधन न्याय योजना अलग है और इसलिए माननीय शिवरतन जी ने जो प्रश्न किया है, जो कर रहे हैं वह नहीं। आप खर्च कर सकते हैं क्या ? यह एक लाईन का है और आपको मालूम है कि यह नहीं खर्च कर सकते हैं इसलिए आप गोल-गोल घूमा रहे हैं तो आप यह बोलिए कि हम खर्च नहीं कर सकते।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप दूसरे परपस के लिए खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक उत्तर दीजिए। यदि नहीं खर्च कर सकते हैं तो बता दीजिए कि नहीं कर सकते।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको न मालूम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप विद्वान आदमी हो, आपको न मालूम हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खर्च हो रहा है वह जिस परपस के लिए रखा गया है उसी परपस में खर्च हो रहा है। मैं हर बार बोल रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं। यह घुमावदार बात है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गोधन न्याय योजना को गौठान से गोबर की खरीदी को अलग करके क्यों देख रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको अधिसूचना में वहीं लिखवा लेना था। यह बिल्कुल नहीं लिखा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक प्रश्न किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गोधन न्याय योजना अलग है गोठान अलग है। यह मैं नहीं बो ल रहा हूँ यह आपके रिकॉर्ड में है।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां यह है। मैं कह रहा हूँ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन को गुमराह करना बंद करो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 500 करोड़ की हेराफेरी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है। वह गोलमोल कर रहे हैं। वह जानबूझकर जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर, हम लोग बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11:19 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में (भारतीय जनता पार्टी) दलके सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)</u>

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू अपना प्रश्न पूछिये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने बहिर्गमन का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आह्वाहन किया और उनके दो माननीय सदस्य उनसे सहमत नहीं हैं और वह बहिर्गमन नहीं किये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले तो आपको नमस्कार और दूसरा 500 करोड़ की हेराफेरी में आपके मंत्री उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- उसकी सब नीति, कार्यक्रम बने हैं, गौठान व्यापक शब्द है, आप जबरदस्ती गुमराह कर रहे हैं। आप केवल गाय के नाम पर वोट मांग सकते हैं, गाय और गोबर से आपको एलर्जी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कृषि मंत्री जी, भांजा आपका नया नाम रखे हैं, आदरणीय मिश्री भैया कह रहे हैं।

राज्य में संचालित पेंशन योजनाएं

4. (*क्र. 789) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. राज्य में कुल कितने प्रकार की पेंशन योजनाएं चल रही हैं? इनमें से कितनी केन्द्र सरकार की है एवं कितनी राज्य सरकार की? (ख) पेंशन हेतु क्या नियम एवं शर्तें हैं? क्या सभी विधवा एवं परित्यकता महिलाओं को पेंशन दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्या देने की योजना है? यदि हां, तो कब तक देने की योजना है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत 6 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित है. इनमें से 3 केन्द्र सरकार एवं 3 राज्य सरकार की है. (ख) पेंशन हेतु नियम एवं शर्तें † संलग्न परिशिष्ट[2] में है. जी नहीं. पात्र सभी विधवा एवं परित्यकता महिलाओं को पेंशन देने की योजना है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है। मैं माननीया मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत वंचन सूचकांक क्या है और इसमें कौन-कौन से परिवार शामिल हो सकते हैं? इसमें आपको कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदनों का निराकरण हुआ है?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सम्मिलित सूचकांक बेघर परिवार, निराश्रित भिक्षुक, मैला ढोने वाला, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से विमुक्त किये गये बंधुआ मजदूर हैं। वंचन सूचकांक कच्ची दिवारों और कच्ची छत के साथ केवल एक कमरे में रहने वाले परिवार, परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, महिला

[2] परिशिष्ट- दो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मुखिया वाले परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई वयस्क पुरूष सदस्य नहीं है, दिव्यांग सदस्य वाले किसी सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार, अ.जा. और अ.ज.जा. परिवार, ऐसे परिवार जहां 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई वयस्क साक्षर नहीं है, भूमिहीन परिवार जो अपनी ज्यादातर कमाई दीहाड़ी मजदूरी से प्राप्त करते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र का है। नगरीय क्षेत्र का भी बताऊं।

अध्यक्ष महोदय :- रहने दीजिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- जो आपको आवेदन मिले हैं, उनमें से कितने आवेदनों का निराकरण हुआ है ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आधार पर अभी कोई भी शिकायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसा होगा तो मैं अलग से जानकारी दे दूंगी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं, वह स्वयं से आवेदन देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, इसमें पेंशन की योजनाओं के नाम एवं उनके नियम एवं शर्तें दिया गया है। आपको जानकारी है या नहीं है, आप लोगों ने जनघोषणा पत्र को आत्मसात किया है। यदि आपने जनघोषणा पत्र को आत्मसात किया है तो उसमें दिया हुआ है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को 1 हजार और 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को 1500 और यदि कोई दिव्यांग है तो 1500 रुपये दिया जाना है। यह आपने आत्मसात किया है। यह कब से देना प्रारंभ करेंगे ?

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी समयावधि बताना सही नहीं है, क्योंकि अभी जनघोषणा पत्र में तीन साल बचे हुए हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- चलिये ठीक है, बस यही जानना चाह रहे थे। आपका जनघोषणा पत्र बहुत अच्छा है, उसको आत्मसात करें।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को फिर विभाग से गलत जानकारी दी रही है कि एक भी आवेदन नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- एक भी आवेदन नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वंचन सूचकांक में ऐसे लोग शामिल हैं जिनका 2011 की जनगणना सूची में शामिल नहीं है, जो लोग गरीबी रेखा में शामिल नहीं हैं। यह मुख्यंमत्री जी की अलग से योजना है। ऐसे लोग जिनके घरों की कच्ची दीवारे हैं, जिनके परिवार में 16 से 59 वर्ष से यदि कम के लोग हैं यह मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और जानकारी के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अभाव में बहुत से लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरे आग्रह है कि इसकी यदि इसकी हम सदन के सभी जनप्रतिनिधियों को हो तो हम लोगों को इस योजना का लाभ दिला सकते हैं।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना में उनके नाम होने चाहिए और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए । जो राज्य सरकार की योजना है उसमें तीनों गरीबी रेखा से नीचे का नहीं है लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना में उनके नाम होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, प्रश्नकाल के बाद ये आपके कक्ष में आएंगी और इनको पूरी जानकारी दे दीजिएगा ।

श्रीमती अनिला भेंड़िया :- जी, ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

<u>प्रदेश में मछुआरों हेतु जाल, मछली चारा तथा मछली बीज का क्रय</u>

5. (*क्र. 685) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मत्स्य विभाग द्वारा सत्र 2018-19 व 2019-20 में किन-किन मदों से किस किस संस्था से मछुआरों हेतु जाल, मछली चारा (सिनझिग/प्रोटीन फीड) एवं मछली बीज किस दर पर लिया गया? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार बिलासपुर जिले में सत्र 2018-2019 व 2019-20 में डीएमएफ फंड से मत्स्य विभाग को जाली, चारा व मछली बीज क्रय करने के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई व कार्य करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रदेश में मत्स्य विभाग द्वारा सत्र 2018-19 व 2019-20 में मछुआरों हेतु जाल, मछली चारा (सिनझिग/प्रोटीनफीड) एवं मछली बीज क्रय की मदवार वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) बिलासपुर जिले में सत्र 2018-19 व 2019-20 में डी.एम.एफ. फंड से मत्स्य विभाग को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है. अतः प्रश्नांश-ख की जानकारी 'निरंक' है.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में मछली पकड़ने के लिये जो जाल है यह आपने छत्तीसगढ़ राज्य बीज कृषि निगम से भी खरीदा । माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम जाल बनाने का काम करता है ? क्या जाल निर्माण का काम करता है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- जी नहीं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यदि "जी नहीं" तो फिर ये आपके विभाग को कैसे सप्लाई कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय :- बनाने वाला ही सप्लाई करेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो अलग-अलग बातें हैं । एक लिमिट है, उस तक का जाल जो है वह किसान या जिला से क्रय किया जाता है, ऊपर के आर.सी. से करके उसको विभाग खरीदता है, यह परंपरा है ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल के बाद तो जाल से मुक्ति मिली है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- बांधी जी, क्या आपने आजतक किसी मछली को अपने जाल में फंसाया है ? (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैया, आपने परलोक सुधारने की व्यवस्था तो कर ली लेकिन अभी को भी ठीक रखो न । (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- शर्मा जी, आप भी जाल से बाहर निकलकर आईए ।(हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- सत्तू भैया, खुद अपने जाल में फंस गए हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बीज निगम से जाल लेने की परंपरा के लिये मंत्री जी कह रहे हैं तो क्या इस परंपरा के कारण ऐसी पद्धति में कोई बिना सुधार लाये हम निजी क्षेत्रों में प्रक्रिया टेण्डर करके करेंगे तो क्या हमारे जाल का जो रेट है उसकी दर में कमी आ सकती है लेकिन परंपराओं के नाम पर ऐसा नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, यह परंपरा है या व्यवस्था है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. बांधी जी अगर कुछ सुझाव देंगे, हम लोग भी चाहते हैं कि कीमतें कम हों लेकिन अच्छी चीजें उपलब्ध हों। बगैर आर.सी. के भी टेण्डर करके अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है तो विभाग उसका परीक्षण करा लेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह परंपरा है कि व्यवस्था है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब शब्द अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन अभी जो व्यवस्था चल रही है उसी को परंपरा, आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, श्री कुलदीप जुनेजा जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह व्यवस्था त्रेतायुग से चल रही है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मछली बीज की बात है, मछली बीज में जो शासकीय मत्स्य क्षेत्र में मछली बीज की दर कितनी है और निजी क्षेत्र में कितनी दर है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिये तो थोड़ा कठिन प्रश्न है । मैं मछली के दर की ज्यादा हिसाब-किताब करके नहीं आया थाद लेकिन आपको उपलब्ध करा दूंगा ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि प्रतिहजार 400 रूपये शासकीय दर पर मिल रहा है और उसी मछली को हम निजी क्षेत्रों में 1600 रूपये, 1800 रूपये में ले रहे हैं । दर में इतना अंतर है । जबकि शासकीय में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो हम निजी क्षेत्रों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में इस दर पर क्यों खरीद रहे हैं ।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- क्या आपने जाकर मछली बीज खरीदा है ? आप इतना बता दीजिये कि आपने कब लिया है ? आप इतना बता दीजिये ताकि पता चल जाये कि आपको रेट मालूम है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- तोला चाहिए क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब दर के बारे में बहुत...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बाद में बता देंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपके सुझाव पर मैं परीक्षण करा लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुलदीप जुनेजा ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर है, पूरे प्रदेश स्तर में है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, गंभीरता से आप भी लीजिएगा । श्री कुलदीप जुनेजा ।

<u>एन.जी.ओ. को किया गया भुगतान</u>

6. (*क्र. 26) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कैलण्डर वर्ष 2019 तथा 2020 में विभाग की ओर से कितने एन.जी.ओ. को विभाग का काम दिया गया है? (ख) इन एन.जी.ओ. को कितनी राशि भुगतान की गई है? (ग) भुगतान की गई राशि एवं एन.जी.ओ. की सूची उपलब्ध कराएं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में विभाग की ओर से 61 एन.जी.ओ. को विभाग का काम दिया गया है. (ख) इन एन.जी.ओ. को कुल राशि रुपये 422010111 (अक्षरी रुपये ब्यालीस करोड़ बीस लाख दस हजार एक सौ ग्यारह रुपये मात्र) का भुगतान किया गया है. (ग) जानकारी ††[3] संलग्न परिशिष्ट पर है.

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आया है । आपके माध्यम से मैं एक साल पूछना चाहता हूं । इन 61 एन.जी.ओ. जिन्हें शासन द्वारा राशि दी गई है । कितनों की ऑडिट रिपोर्ट जमा कर दी गई है और कितनों की बची है, कृपया बताइए ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, आपने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में नहीं पूछा था इसलिए मैं इसकी जानकारी अलग से दिलवा दूंगी ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और प्रश्न है ।

---

††[3] परिशिष्ट तीन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उस एक प्रश्न को आधा करिये ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- जी । इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण विभागीय रूप से पिछले कैलेंडर वर्ष में कब-कब किया गया है, इसके बारे में बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- इसकी जानकारी दे देंगे आपको ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष जी, कैलेंडर वर्ष के कारण ही इनका भुगतान नहीं हो पाया है । आपको इसमें एन.जी.ओ. की लिस्ट दी गई है ।

<u>नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बजट में शामिल कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति</u>

7. (*क्र. 1044) श्री चंदन कश्यप : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नारायणपुर, कोंडागांव एवं बस्तर के नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल संसाधन विभाग में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कौन-कौन से कार्य बजट में स्वीकृत/शामिल किये गए? इनमें से कौन-कौन से कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई? (ख) क्या प्रश्नांश "क" अनुसार बजट में स्वीकृत/शामिल कार्यों में से किसी कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति लंबित है? यदि हां, तो लंबित होने का कारण एवं जिम्मेदार कौन है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जानकारी †[4] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.(ख) जी हां. वर्तमान में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में शामिल नवीन मद की 14 योजनाओं में से 12 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना है. शेष 02 योजनाएं विभिन्न कारणवश विलोपित किया जाना प्रस्तावित है. लंबित होने का कारण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. योजनाओं की उपयुक्तता की जांच सर्वेक्षण से की जाती है तथा सर्वेक्षण कार्य किया जाकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने तक, विभिन्न स्तर पर कई अधिकारी संलग्न रहते हैं, अतः जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है.

श्री चंदन कश्यप :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आ गया है और इस उत्तर से मैं संतुष्ट हूं ।

<u>दुर्ग जिले में मत्स्य पालन हेतु तालाब निर्माण</u>

8. (*क्र. 930) श्री अरूण वोरा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में मत्स्य पालन एवं इसके संरक्षण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य की विभिन्न योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में किन-किन स्थानों में कुल कितने तालाबों का निर्माण किया गया? विकासखण्डवार

[4] परिशिष्ट चार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जानकारी देवें? (ख) उक्त अवधि में दुर्ग जिले के मत्स्य पालन योजनांतर्गत कितने हितग्राहियों को मछली पकड़ने हेतु जाल तथा हितग्राहियों को मिलने वाली मोटर सायकल प्रदाय की गई? विकासखण्डवार जानकारी दें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) दुर्ग जिले में मत्स्य पालन एवं इसके संरक्षण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य की विभिन्न योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 में 16 स्थानों मे 19 तालाबों का एवं वर्ष 2019-20 में 14 स्थानों में 20 तालाबों का निर्माण किया गया. वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी [5]†† संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) उक्त अवधि (2018-19 एवं 2019-20) में दुर्ग जिले में मत्स्य पालन योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 314 हितग्राहियों को जाल एवं 10 हितग्राहियों को मोटर सायकिल तथा वर्ष 2019-20 में 241 हितग्राहियों को जाल एवं 66 हितग्राहियों को मोटर सायकिल प्रदाय की गई. वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में 19 तालाबों एवं 2019-20 में 20 तालाबों के निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद् ।

भाटापारा शाखा नहर के लेफ्ट एल टी के कार्य की स्थिति

9. (*क्र. 914) श्री शिवरतन शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार भाटापारा जिले के भाटापारा शाखा नहर के किन-किन वितरक नहर का मिट्‌टी का कार्य (अर्थ वर्क) होना शेष है, क्या लैफ्ट एल टी (बांयी अंतिम छोर) का कार्य पूर्ण हो चुका है यदि हां, तो कब? (ख) यदि पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसके क्या कारण है, और कब तक पूर्ण कर किसानों को इसके माध्यम से सिंचाई हेतु पानी मिलेगा?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की भाटापारा शाखा नहर के सिमगा वितरक नहर एवं बॉयी छोर वितरक नहर (एल.टी.ई.) का आंशिक मिट्‌टी कार्य शेष है. वर्ष 2020-21 के बजट में नवीन मद में सम्मिलित धुर्राबांधा वितरक नहर का भी अर्थवर्क होना शेष है. (ख) सिमगा वितरक नहर में भू-अर्जन की कार्यवाही शेष होने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है. बॉयी अंतिम छोर वितरक नहर का कार्य ठेकेदार द्वारा समयावधि में पूर्ण नहीं करने के कारण शेष है जिसका अनुबंध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है, साथ ही न्यूवोको

[5] परिशिष्ट पांच

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(एन.यू.व्ही.ओ.सी.ओ.) विस्तास कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 04 नग रेल्वे क्रासिंग (स्ट्रक्चर्स) का निर्माण भी आवश्यकता अनुरूप न होने के फलस्वरूप वितरक नहर का निर्माण अधूरा है. धूर्राबांधा वितरक नहर के निर्माण की कार्यवाही प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत प्रारंभ की जायेगी. उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा.

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको अवसर देने के लिए कहां-कहां से आ रहा हूं, ज़रा उसका ख़्याल रखिएगा और आगे बढ़ना है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जी । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में लिखा है कि बांयी अंतिम छोर वितरक नहर का कार्य ठेकेदार द्वारा समयावधि में पूर्ण नहीं करने के कारण शेष है जिसका अनुबंध निरस्त कर पुन: निविदा आमंत्रित की जा रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह अनुबंध कब निरस्त किया गया और जो पुन: निविदा आमंत्रित की जा रही है, इसकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, यह बता दीजिए ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, बहुत पुराना मामला है । सिमगा वितरक नहर के भू-अर्जन का काम तो शेष है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, मैंने ख का उत्तर जानना चाहता हूं । बांयी अंतिम छोर ।

श्री रविन्द्र चौबे :- बायीं अंतिम छोर नहर का काम समयावधि में पूर्ण नहीं होने के कारण शेष है, अनुबंध निरस्त कर । अभी निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं उत्तर पढ़ लीजिए। जिसका अनुबंध निरस्त कर पुन: निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है । यानी, अभी अनुबंध निरस्त नहीं किया गया है । आपके उत्तर से तो ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि अनुबंध निरस्त कर दिया गया है किंतु आप बोल रहे हैं कि प्रक्रिया जारी है । दूसरा आपने लिखा है कि न्यूवोको विस्तास कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 04 नगर रेल्वे क्रॉसिंग का निर्माण भी आवश्याकतानुरूप नहीं होने के कारण वितरक नहर का निर्माण अधूरा है । यह जो कार्पोरेशन लिमिटेड ने 04 नग रेल्वे क्रॉसिंग का निर्माण कराया है, आपने स्वयं उत्तर में लिखा है । यह आवश्यकतानुरूप नहीं होने के कारण। अगर यह निर्माण हुआ तो निर्माण के लिए तकनीकी सलाहकार कौन था जिसने इसकी देखरेख की और जब आवश्यकतानुरूप नहीं था तो इसका निर्माण क्यों नहीं होने दिया । विभाग ने क्या कार्यवाही की, यह बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- फिर कब हुआ, यह भी पूछ लीजिए । फिर उसको अलग से पूछेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, यह तो 2015-16 का मामला है । अब उस समय तकनीकी रूप से किन लोगों ने इसको कराया था, इसको समझ सकते हैं । लेकिन यह जो 04 नग रेल्वे क्रॉसिंग का स्ट्रक्चर बनना था । विभाग यह मानकर चलता है कि इरीगेशन के प्वाइंट ऑफ व्यू से नहीं था । इसलिए नहीं हो पाया । उसके लिए कार्यवाही जारी है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसे सीमेंट प्लांट वालों ने कराया है । मैं इस विषय पर दो बार सीमेंट प्लांट वाले अधिकारियों के साथ बैठ चुका हूं । यह जान बूझकर सीमेंट प्लांट वाले लेट कर रहे हैं क्योंकि लाफार्ज सीमेंट के लिए रेल्वे लाईन गई है । आप क्या इसकी व्यवस्था कराएंगे कि समय सीमा में काम हो जाए क्योंकि 3 हजार हेक्टेयर में आपासी होनी है और अर्थवर्क का बहुत थोड़ा सा काम बाकी है । किसानों की सरकार है तो इसको प्राथमिकता से कराने की व्यवस्था करनेंगे क्या ।

अध्यक्ष महोदय :- जी हां ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपने कहा कि 3 हजार 69 हेक्टेयर के लिए डिज़ाइन था, इसमें 585 हेक्टेयर तो हो ही रहा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जी हो रहा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप ने ही लगातार मीटिंग की है । तत्कालीन समय का यह स्वीकृत कार्य है । पेंडेंसी क्यों है यह भी आप जानते हैं जिस भी स्तर पर होगा हम लोग भी चाहते हैं कि काम पूरा हो । आपका जैसा सुझाव है उस स्तर पर हम लोग कार्यवाही का निर्देश करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सीमेंट प्लांट वालों पर थोड़ा सा दबाव बनाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, मेरा ऐसा आग्रह है । आप उस पर थोड़ा पहल कर लें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आपका सुझाव ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी।

जिला दुर्ग में पेंशन योजना के तहत पेंशन वितरण

10. (*क्र. 876) श्री विद्यारतन भसीन (श्री सौरभ सिंह) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन हितग्राहियों को कितनी दी जा रही है? क्या इसमें वृद्धि प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक की जावेगी? वर्तमान में किस-किस पेंशन योजना में कितनी राशि दी जाती है, इसमें कितना राज्यांश व कितना केन्द्रांश है? (ख) दुर्ग जिले में वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन के कितने हितग्राही हैं व उन्हें कब तक का भुगतान कर दिया गया है और कितने हितग्राहियों को भुगतान किया जाना शेष है और कब तक भुगतान किया जावेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत दी जा रही पेंशन राशि नीचे तालिका के सरल क्रमांक 1 एवं 2 के स्तंभ 5 में अंकित अनुसार है. इसमें वृद्धि विचाराधीन है.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. वर्तमान में विभिन्न पेंशन योजनाओं में दी जाने वाली पेंशन राशि, केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित निम्नानुसार है :—

क्र.	योजना का नाम	पेंशन पर (प्रतिमाह प्रति हितग्राही)		
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			
	60-79 आयुवर्ग —	200/-	150/-	350/-
	80 वर्ष या अधिक —	500/-	150/-	650/-
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	300/-	50/-	350/-
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना	300/-	200/-	500/-
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	—	350/-	350/-
5.	सुखद सहारा योजना	—	350/-	350/-
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना	—	350/-	350/-

(ख) दुर्ग जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 29,231 हितग्राही तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 9,734 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं. इन सभी हितग्राहियों को माह जनवरी, 2021 तक की पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है, कोई भी भुगतान लंबित नहीं है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की जनता की तरफ से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या आपने जनघोषणा पत्र में वर्ष 2018 में यह कहा था कि विधवाओं का, दिव्यांगों का और 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की राशि में वृद्धि की जायेगी। आपने अपने जवाब में लिखा है कि विचाराधीन है। यह विचार कब तक होगा ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- समय बताना संभव नहीं है। मैंने आपके नेता प्रतिपक्ष को पिछले प्रश्न में बोल दिया था।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी। प्रश्न संख्या 11.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ढाई साल में हो जायेगा ? दिसंबर 2023 तक या 11 अक्टूबर, 2023 तक हो जायेगा ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं तो विचाराधीन बोले तो समय बताना संभव नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- अक्टूबर, 2023 तक हो जायेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिए न।

श्री सौरभ सिंह :- जो पेंशन का आबंटन आपको केन्द्रांश से मिलता है या राज्यांश से, उसमें कितना प्रशासनिक राशि खर्च करने का या कितना प्रतिशत राशि जो आप उचित समझें, का प्रावधान है। जो आपको केन्द्रांश से पैसा मिलता है या राज्यांश का आप पेंशन के लिए पैसा देते हैं। उस पेंशन के पैसे में कितनी राशि प्रशासनिक खर्च के लिए टोटल राशि बता दें या खर्च बता दें, कितनी राशि प्रशासनिक व्यय के लिए अलग से रखी जाती है?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- ये तो जितना आवेदन हमें पेंशन का आता है, उस हिसाब से वह राशि खर्च होती है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, विस्तृत प्रश्न है।

श्री सौरभ सिंह :- मेरा बिल्कुल प्वाइंटेड प्रश्न है। पैसा केन्द्रांश से आता है, राज्यांश से आता है। आपकी योजनाएं चल रही हैं, इसमें प्रशासनिक व्यय का प्रावधान है। वही तो खेल है। प्रशासनिक व्यय का प्रावधान है, मैं यही पूछना चाहता हूं कि कितना प्रतिशत है?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- उस खेल को आप समझा दीजिएगा।

श्री सौरभ सिंह :- वह खेल तो समझती हैं। वे प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत बता दें। कितना प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के लिए रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी वह तैयार नहीं हैं।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- 1.5 प्रतिशत ।

श्री सौरभ सिंह :- कितना?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- 1.5 प्रतिशत।

श्री सौरभ सिंह :- चलिए, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धरमलाल कौशिक जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये जनघोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। जनघोषणा पत्र बनाने वालों ने अपने ट्वीट में लिखा है। बेरोजगारों, शिक्षाकर्मियों, विद्यामितानिनों एवं युवाओं की पीड़ा से मैं बहुत दुखी और शर्मिंदा हूं। यह माननीय टी.एस. बाबा ने अपने ट्वीटर एकाउंट में लिखा है। अब जनघोषणा पत्र का क्या होगा? भगवान की मालिक है। बनाने वाला यदि अपने ट्वीटर में लिख रहा है तो।

अध्यक्ष महोदय :- वह ट्वीटर एकाउंट सही है या गलत है, क्या है, यह आज कल नया शुरू हो गया है।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, यह सब कागज आपके पास कैसे पहुंच गया?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- शिवरतन जी, आप भाटापारा तक सीमित रहा करें ।।

श्री शिवरतन शर्मा :- ट्वीटर में है। मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूं।

श्री मोहन मरकाम :- आज कल फेक आई.डी. भी बनता ह।

श्री शिवरतन शर्मा :- ट्वीटर में है। उन्होंने लिखा है कि शर्मिंदा हूं।

श्री मोहन मरकाम :- सब आजकल फेक आई.डी. भी बनता है। आज तक सब फेक आई.डी. है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब जनघोषणा पत्र बनाने वाला व्यक्ति अपने आपको शर्मिंदा जैसे शब्द का उपयोग कर रहा है तो क्या होगा?

श्री अमरजीत भगत :- कभी-कभी जो केन्द्र का मोदी जी का घोषणा पत्र है, उसे भी रख लिया करो। उसे भी देखा करो।

श्री धरमलाल कौशिक :- ट्वीटर एकाउंट में डाल देना चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- जो साल में दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात उन्होंने कही थी, उसमें मिला ही नहीं तो कभी-कभी आपका भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उसे भी रखा करो।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप जब लोकसभा में जायेंगे तो वहां पूछ लेना। अभी यहीं की बात करो।

श्री मोहन मरकाम :- अभी भी पकोड़ा तलवा रहे हैं। पकोड़ा तलने को ही रोजगार कह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसे श्री के.टी.एस. तुलसी को बता दो कि आप पूछो। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- आप उन्हें बता दो।

<u>प्रदेश में किसानों की आत्महत्या</u>

11. (*क्र. 697) श्री धरमलाल कौशिक : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल 2020 से दिनांक 01-02-2021 तक कितने किसानों ने किन कारणों से आत्महत्या की है? जिलेवार व किसानवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार किसानों को कितना मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, दिया गया है तो कब तक दिया जावेगा? किसानों की आत्महत्या के लिए कौन दोषी पाया गया व उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रदेश में कुल 141 किसानों द्वारा विभिन्न कारणों से की गई आत्महत्या की जिलेवार व किसानवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ एवं ब पर है. (ख) प्रश्नांश "क" की अवधि में किसानों को देय मुआवजा की जानकारी निरंक है. कृषक श्री धनीराम मरकाम, केशकाल जिला-कोण्डागांव के आत्महत्या के प्रकरण में अभिलेख दुरूस्ती एवं फसल गिरादावरी में त्रुटि पाये जाने पर पटवारी श्री डोंगर नाग दोषी पाये जाने पर निलंबित किया गया.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था, उसमें मैंने तारीख दी है। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 10 महीने के अंदर में 141 किसानों ने इस प्रदेश में आत्महत्या की है। ये किसानों की सरकार है और किसानों की नीति बना रहे हैं। तो 141 किसानों ने आत्महत्या की और मैंने उसमें मैंने पूछा कि उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की गई है? तो मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 141 किसानों ने आत्महत्या की है और हमने इसमें बड़ी कार्रवाई की है कि हमने एक पटवारी को निलंबित कर दिया। मंत्री जी जवाब में यही है न। तो एक पटवारी को निलंबित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में जो किसान हैं और हम किसान को यहां रीढ़ की हड्डी कहते हैं। हमारी आधार व्यवस्था किसान हैं और किसान यहां पर आत्महत्या करे। आज पूरे प्रदेश में किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जितने आत्महत्या हो रहे हैं, उनके घर में जाने वाला कोई नहीं है और ऊपर से उनके ऊपर कोई न कोई आरोप लगा दिया जाता है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो किसान आत्महत्या किये हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए और इसलिए उसमें एक तो जांच होनी चाहिए और जांच के बाद आप जो मुआवजा की राशि दे सकते हो, वह मुआवजा की राशि उन्हें प्रदान करनी चाहिए, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ वैसे भी किसानों का प्रदेश है । उस पूरे कार्यकाल में जितने लोगों ने आत्महत्या की ।

श्री अजय चन्द्राकर :- किसानों का प्रदेश है या किसानों के मरने का प्रदेश है?

श्री रविन्द्र चौबे :- हम लोगों ने देखा था । एक साल की 141 किसानों ने आत्महत्या की, वह माननीय नेता प्रतिपक्ष जी पढ़ रहे हैं । मैं पुराने 15 साल के कार्यकाल का बताऊंगा । हम लोग कुरूद भी गए थे । यह राजनीति करने का विषय नहीं है । दुर्भाग्य है कि किसानों की आत्महत्या के मामले में भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले भी आत्महत्याएं होती थीं, कभी मुआवजा के बारे में कभी विचार किया था क्या ? आज भी उसका कोई प्रावधान नहीं है । जिस तरीके से आपने कहा कि आरोप लगा दिया गया है । आत्महत्या शब्द जुड़ा, इसका मतलब है कि उसका पोस्ट मार्टम हुआ और पोस्ट मार्टम में दो प्रकार की बातें हैं । अगर कोई किसान आत्महत्या करता है तो किस मानसिक स्थिति से हमारे किसान ने आत्महत्या की है, इसके जांच का कोई पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन बॉडी सिम्टम्स के आधार पर अगर वह सुसाईडल अटैक का केस किया है तो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की उसका एक आधार बनेगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यह उत्तर जहां से लेना था, वहीं से लेना था ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी इसका पोस्ट मार्टम नहीं कर रहा हूं । प्रश्नकाल के बाद में उसका पोस्ट मार्टम करेंगे । मैं उसमें राजनीति नहीं कर रहा हूं कि किसान आत्महत्या कर ले, उनके परिवार से जाकर मिल लें, दो शब्द उनको बोल दें, यह भी समय आपके पास

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में नहीं है, आपके साथियों के पास में नहीं है । यदि मैंने प्रश्न लगाया तो मैं उसमें राजनीति कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं । हम लोगों ने आप लोगों को भी देखा है । हम लोगों ने देखा है कि आप लोग क्या करते थे ? लेकिन इसमें किसान अलग-अलग कारणों से मरे हैं और उन्होंने कारण बताया, उसके परिवार के लोग बताये । मैं उसमें केवल यह बोल रहा हूं कि यदि सहानुभूति पूर्वक विचार करके उस परिवार को कुछ दिया जा सकता है तो उसके लिए रास्ता निकालना चाहिए और आने वाले समय में प्रदेश के किसान आत्महत्या न करें, उसके लिए सरकार की ओर से, मंत्रियों की ओर से हम क्या कर सकते हैं, उस दिशा में कार्यवाही होनी चाहिए ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के आत्महतया के मामले में बात हो रही है । आप उनके घर गए, अच्छी बात है । सांत्वना दिए, बहुत अच्छी बात है । धनेन्द्र साहू जी सदन में बैठे हैं, उस समय वे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष थे । आपके चन्द्रशेखर साहू जी कृषि मंत्री थे । उन्हीं के गांव में एक नवयुवक ने आत्महत्या की और एक सुसाईड नोट लिखा था । चन्द्रशेखर साहू जी के गांव की बात है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- धनेन्द्र साहू जी के गांव की बात है ।

श्री भूपेश बघेल :- सुनो तो भाई, सुनो तो ।

श्री धरम लाल कौशिक :- वहां युवक मर गया और मरने के बाद में मृतक के ऊपर आरोप लगाया, वही दुर्भाग्यजनक स्थिति है, मेरे पास उसकी कटिंग है ।

श्री भूपेश बघेल :- मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर खड़ा हुआ हूं । आप सुन तो लें । धनेन्द्र साहू जी वहां गए थे और उसके बाद आप लोग वहां फोटो सेशन करने गए । जब हम लोग चन्द्रशेखर साहू के गांव गए थे तो एफ.आई.आर. हुआ । हम लोग हर महीने जाकर पेशी में खड़े होते थे । जो सांत्वना व्यक्त करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी आप लोगों ने एफ.आई.आर., आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया था । ये आपकी मानसिकता रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप लोग गए थे, उसको मुआवजा का पैसा आजतक नहीं मिला है । उसको मुआवजा दे दीजिए, अब तो आप मुख्यमंत्री हो गए हैं ।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पिछले विधान सभा में जब इनकी सरकार थी, उस समय जानकारी मांगी थी । उस समय हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी, लेकिन एक रूपया भी मुआवजा दिया है तो बता दें । रिकार्ड कहता है । रिकार्ड में स्वीकार किया कि आपने एक रूपया मुआवजा नहीं दिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभनपुर में जितने भी मरे हैं, उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं । कोई गंजेड़ी है, कोई कुछ है, ऐसा बोल रहे हैं । आपने तो किसानों को गंजेड़ी बताया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धनेन्द्र साहू :- आप के कार्यकाल में हजारों किसान मरे हैं, आपने एक रूपया भी मुआवजा दिया हो तो बता दें । यह रिकार्ड में है । आपने एक रूपया भी मुआवजा नहीं दिया है ।

श्री अरूण वोरा :- आपके सरकार के केन्द्रीय मंत्री ने कहा था कि किसानों के प्रेम प्रसंग का मामला है । आप याद करिए ।

श्री धनेन्द्र साहू :- आपके ही क्षेत्र में आपने कह दिया कि मरा हुआ किसान जो है, वह भाजपाई है कि कांग्रेसी है। आपका यह जवाब था।

श्री अजय चंद्राकर :- आप तो गये थे, एक रूपये नहीं दिये। मैंने तो अभी मांग की, देखो (व्यवधान) किसान को करके, लेकिन मैंने उस मरे किसान को नसेड़ी नहीं कहा।

श्री भूपेश बघेल :- आपने तो शराबी कहा था।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने शराबी नहीं कहा था।

श्री भूपेश बघेल :- शिवरतन जी बोले थे। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोगों ने नहीं कहा था। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- शिवरतन जी बोले थे। क्या बात कर रहे हैं, आप रिकार्ड निकालकर देख लीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेड़िया :- पिछली बार आपने शराबी कहा था। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने कभी नहीं कहा था। आप रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी मैंने कभी नहीं कहा था। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- उनके पारिवारिक संबंध थे, ये संबध थे, शराबी थे। आपने सब कुछ बोला है। (व्यवधान) आप निकालकर देख लीजिए, किस संबंध में आपने कहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप लोग उसको बोल रहे हो। मेरे हुए व्यक्ति के परिवार को कैसे अपमानित करना है, ये आप लोग कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- वह आपने किया है। आपने किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यदि जा करके दो शब्द अच्छा नहीं बोल सकते तो उसको आपको अपमानित करने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान) यह आपकी सरकार है, यह आपकी नीति है।

श्री अजय चंद्राकर :- मरे हुए व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- शराबी बोल दिये, मानसिकता खराब है बोल दिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये। समाप्त करिये। (व्यवधान)

श्री धनेन्द्र साहू :- हम दोनों के खिलाफ में अपराध दर्ज किया गया। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, पूरक प्रश्न करिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ये किसानों को प्रचार का माध्यम बना लिये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने 141 लोगों की आत्महत्या को स्वीकार किया और एक पटवारी के निलंबित करने की बात की। जिस पटवारी का निलंबन हुआ। कोंडागावं जिले में धनीराम ने आत्महत्या की थी। 6 एकड़ 70 डिसमिल का किसान था।

अध्यक्ष महोदय :- पूरक प्रश्न है, प्रश्न करिये1

श्री शिवरतन शर्मा :- 70 डिसमिल की उसकी गिरदावरी हुई थी। आप यह बताईये कि क्या निलंबन पर्याप्त है। क्या उसके खिलाफ अन्य कोई एफ.आई.आर. नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी, तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। उसके खिलाफ को एफ.आई.आर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो क्यों नहीं हुआ, एक।

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके जिले में मातरोडीह है, मैं दुर्ग जिले में स्वयं गया था। माननीय नारायण चंदेल जी, मैं और विद्यारतन भसीन जी हम तीनों गये थे। किसान नकली दवाई के चलते आत्महत्या को मजबूर हुआ और दो बाद दवाई सींची। खेत में बीमारी ठीक नहीं हुई। पूरे गांव ने और परिवारवालों ने बताया कि नकली दवाई का उपयोग हुआ था। आपने क्या कार्रवाई की। आप जरा बता दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, लगता है कि शिवरतन जी ने पूरा उत्तर पढ़ा नहीं है। जिस किसान का जिक्र आप कर रहे हैं, नकली दवाई का जिक्र कर रहे हैं, ये पूरे 141 प्रकरण में सोसाईडल नोट केवल वहीं मिला था और सच्चाई है। दवाई का दो बार उपयोग किया था। माननीय शिवरतन जी, दुर्ग और राजनांदगांव के जितने दवाई विक्रेताएं हैं, लगभग 50 दुकानों में छापे मारे। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वितरक, हमने उसके दुकान को एक महीने सील किया। वह किससे संबंधित है, मैं यहां राजनांदगांव जिले का नाम नहीं लेना चाहता।

श्री नारायण चंदेल :- यह घोर आपत्तिजनक है।

श्री शिवरतन शर्मा :- दो साल आपकी सरकार चल गयी और लगातार (व्यवधान) इसके लिये जिम्मेदार कौन है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यह बहुत आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- कार्रवाई जो करना चाहिए था। कार्रवाई की गयी। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- यह घोर आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- नकली दवाई का पूरा बाजार बना दिया गया था। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- दो साल नकली दवाई आपके संरक्षण में थी। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- जो सच्चाई है उसे छिपा नहीं सकते। चिल्लाने से नहीं होगा। जो सच्चाई है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- शैलेश पांडे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सुनने का अधिकार रखिये। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह आत्महत्या का मामला है। किसान किसान है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आत्महत्या की तो विभाग क्या कर रहा था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये। शैलेश पांडे।

श्री सौरभ सिंह :- दुर्ग जिले का मामला है, सब जगह कार्रवाई करनी चाहिए। (व्यवधान) जांजगीर के एक मामले में लीपापोती की गयी।

श्री शिवरतन शर्मा :- सरकार के संरक्षण में नकली दवाई बेचने वाले नकली बीज बेचने वालों का वेतन कम कर रहा है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- दुर्ग राजनांदगावं में बस क्यों कार्रवाई हो रही है। पूरे प्रदेश में क्यों कार्रवाई नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरे प्रदेश वाले नकली दवाई बेचने का यही काम कर रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा सच्चाई बहुत कड़वा होता है।

श्री मोहन मरकाम :- बहुत कड़वा होता है, इसीलिए तो बड़बड़ा रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- एक दवाई व्यवसायी आप लोगों की पार्टी से संबंध है। उसका नाम आने से ही (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- नकली दवाई बेचने वालों के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, ये ठीक नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- सच्चाई से इतना बिलबिला क्यों रहे हो। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह सरकार ठेका में (व्यवधान) आ गया है। न तो पटवारी के खिलाफ समुचित कार्रवाई केवल 141 में सस्पेंड कर देना। यह समुचित उत्तर नहीं है और न ही हम संतुष्ट हैं। इसलिए हम बहिर्गमन करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

11:50 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया।)

बिलासपुर जिले के तालाबों में मछली पालन

12. (*क्र. 168) श्री शैलेश पाण्डेः क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में कितने तालाब है उनमें से कितने तालाबों में मछली पालन होता है? (ख) मछली पालन का ठेका आवंटन किस आधार पर किया जाता है? (ग) वर्तमान में कौन सी संस्थायें मछली पालन कर रही है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) बिलासपुर जिले में 7423 तालाब है जिनमें वर्तमान में 3769 तालाबों में मछली पालन हो रहा है. (ख) मछली पालन का ठेका आवंटन नहीं किया जाता अपितु त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अंतर्गत तालाब/जलाशय पट्टे पर दिये जाते हैं, पट्टे पर दिए जाने के अधिकार व प्रक्रिया †[6] संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ग) वर्तमान में संस्थाओं (पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति एवं समूह) द्वारा मछली पालन की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कृषि मंत्री जी, क्या-क्या भा.ज.पा. है, क्या-क्या कांग्रेस है, सब का जारी करो, आप सबमें जारी करो। पढ़ने वालों, पेंशन पाने वालों, सब में भा.ज.पा.-कांग्रेस जारी करो। वह दवाई वाला भा.ज.पा. का है। कांग्रेस वाले प्रदेश में भजन गा रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- किसान न तो भा.ज.पा. है और न कांग्रेस है, आप जिस मुआवजे की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- फिर अब उसी बात पर चर्चा नहीं होगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- दो साल में प्रशासन में आपकी पकड़ नहीं बनी है।

श्री रविन्द्र चौबे :- दिल्ली के शासन में कौन सा मन बदला है?

श्री अजय चन्द्राकर :- कांग्रेस वाले (व्यवधान) ऐसे दोनों हाथ से गोली चला रहे हैं।

---

6 परिशिष्ट "छ:"

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- दिल्ली की सड़कों में दो सौ लोग मर गये हैं। मोदी जी ने एक रूपया नहीं दिया। दिल्ली में दो सौ से ज्यादा किसान मरे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, उस पर बहिर्गमन हो चुका है। अब उसको छोड़िये। आगे चलिये।

बस्तर संभागान्तर्गत कृषि उपज हेतु प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना

13. (*क्र. 961) श्री बघेल लखेश्वर : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत विभाग के द्वारा कब, कहां-कहां, एवं किन-किन कृषि उपजों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की गई है? (ख) प्रोसेसिंग प्लांट स्थापना के लिए कुल कितनी राशि का व्यय किया गया? अद्यतन स्थिति में इन प्रोसेसिंग प्लांट्स के कार्यसंचालन की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत कृषि विभाग के द्वारा प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना नहीं की गई है. (ख) प्रश्नांश क के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है.

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कृषि उपज प्लाण्ट से संबंधित मेरा प्रश्न था। उसमें कितना व्यय हुआ और कहां-कहां प्लाण्ट लगाया गया। मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि न उसमें व्यय हुआ है और न ही खर्च हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह कृषि का मामला है। बस्तर संभाग में एक भी यूनिट नहीं डलना, इकाई नहीं डलना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कोण्डगांव जिले में एक मक्का प्रोसेसिंग प्लाण्ट डल रहा है तो क्या वह कृषि विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है ? दूसरी बात कि कई और इकाईयां जैसे कृषि महाविद्यालय और कृषि विभाग के अन्तर्गत छोटी-छोटी इकाई डालें हैं, क्या वह प्लाण्ट में नहीं आता है क्या ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तकनीकी रूप से को-आपरेटिव सोसायटी बनाकर मक्का प्रोसेसिंग प्लाण्ट बन रहा है। इसलिए आपने कृषि विभाग से प्रश्न पूछा है। इसलिए विभाग उस तरीके से उत्तर दिया है। लेकिन हमने उसके लिए मण्डी बोर्ड से पैसा दिया है। मक्का प्रोसेसिंग प्लाण्ट कोण्डगांव में स्थापित हो रहा है, यह एक बात। दंतेवाड़ा में भी आर.के.वी.वाई. से लगभग उतने ही करोड़ रूपये का एक और प्रोसेसिंग का प्लाण्ट डालने जा रहे हैं। के.व्ही.के. के माध्यम से जो छोटी-छोटी प्रोसेसिंग इकाई है, हर के.व्ही.के. और हर एग्रीकल्चर कालेजेस से जोड़कर कोदो, कुटकी, लाख के लिए प्रोसेसिंग इकाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

श्री बघल लखेश्वर :- मंत्री जी, धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

राष्ट्रीय ग्रामीण पुर्नवास दिव्यांग कार्यकर्ता को प्रदत्त मानदेय

14. (*क्र. 42) श्री गुलाब कमरो : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में संविदा राष्ट्रीय ग्रामीण पुनर्वास दिव्यांग कार्यकर्ता (विकलांग मितान/मितानिन) को वर्तमान में कितना मानदेय दिया जा रहा है? (ख) संविदा राष्ट्रीय ग्रामीण पुनर्वास दिव्यांग कार्यकर्ता (विकलांग मितान/मितानिन) के मानदेय वृद्धि एवं नियमितीकरण हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) : (क) छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण पुनर्वास दिव्यांग कार्यकर्ता (दिव्यांग मितान/मितानिन) को वर्तमान में रुपए 400/- प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है. (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण पुनर्वास दिव्यांग कार्यकर्ता (दिव्यांग मितान/मितानिन) के मानदेय में वृद्धि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. नियमितीकरण का प्रावधान नहीं होने से नियमितीकरण का प्रस्ताव विचारोपरान्त अमान्य किया गया है.

श्री गुलाब कमरो:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिल गई है, मैं जानकारी से संतुष्ट हूं।

प्रदेश में स्थापित कृषि सेवा केन्द्र एवं उनका भौतिक सत्यापन

15. (*क्र. 965) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2017 से दिनांक 03-02-2021 तक प्रदेश में कितने कृषि सेवा केन्द्र स्थापित हुए हैं? (ख) इनके भौतिक सत्यापन के लिए कौन अधिकृत है? (ग) किस-किस अधिकारी के द्वारा कब-कब भौतिक सत्यापन किया गया?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) वर्ष 2017 से दिनांक 03-02-2021 तक प्रदेश में कुल 1497 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किए गए है. (ख) राज्य पोषित कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना/केन्द्र प्रवर्तित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजनांतर्गत स्थापित सेवा केन्द्रों का, संचालक कृषि अथवा उनके द्वारा नामित कार्यालय जो वर्ग-1 स्तर से कम न हो व संबंधित बैंक के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मशीनों के अनुमोदित सूची के आधार पर भौतिक सत्यापन के निर्देश है. (ग) भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी स पूछना चाह रहा हूं कि आपने 1497 कृषि सेवा केन्द्र खोले गये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैय्या।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या-15, श्री सत्यनारायण शर्मा। आप प्रश्न कीजिये, किसी की बात मत सुनिये।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मैं सवाल पूछ रहा हूं। माननीय मंत्री जी, आपने जवाब में बताया है कि 1497 कृषि सेवा केन्द्र खोले गये हैं। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें अनाधिकृत अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन किया है तो क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंग ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, विभाग की जानकारी के अनुसार ऐसे किसी अनाधिकृत अधिकारी ने सत्यापन नहीं किया है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं कि श्री एस.के. डोंगरे, श्री एम.सी. बंजारे एवं श्री देवांगन, ये ऐसे तीन अधिकारी हैं, जो अधिकृत नहीं थे, उन्होंने सत्यापन किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके विभाग में मात्र 3 वर्ग-एक के अधिकारी हैं और ये अपने नीचे के लोगों से सत्यापन कराते हैं। यहां सेवा केन्द्र में सार्टेज है और घर बैठे सत्यापन हो जाता है। क्या आपने लॉग-बुक से सत्यापन करवाया है कि क्या यह सही है ? क्या वे उस जिले के दूसरे अधिकारियों को निरीक्षण के समय सूचना देते हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- आदरणीय क्या आपकी नहीं सुन रहे हैं क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, नहीं, मैं आपकी भी सुन रहा हूं। वह हमारे आदरणीय हैं भाई, उनकी नहीं सुनने की कोई बात ही नहीं है। वे जानकारी दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सत्तू भैय्या ने कहा कि घर बैठे अधिकारी सत्यापन कर लेते हैं। चूंकि आज यह प्रश्न विधानसभा में आया, तो हम लोगों ने विभाग में आज के प्रश्न के बाद ये निश्चित किया है कि हम आदेश जारी करेंगे कि हमारे कृषि के ज्वाईंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी उसके साथ वेरीफिकेशन में उपस्थित रहें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अगर ऐसी अनियमितता हुई है तो क्या आप उसकी जांच कर कार्रवाई करायेंगे?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, अगर कोई अनियमितता की बात आयेगी तो जांच भी करायेंगे, कार्रवाई भी करेंगे।

<u>बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में अधिक जल भराव से फसल क्षति का मुआवजा</u>

16. (*क्र. 942) श्री आशीष कुमार छाबड़ा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जेवरी तह. बेमेतरा के करूवानाला चेकडेम में भारी जल भराव के कारण किसानों की फसल बर्बादी की शिकायत प्राप्त हुई है? (ख) यदि हां, तो किसानों को कितना मुआवजा दिया गया ? (ग) यदि नहीं, तो किसानों को मुआवजा कब तक प्रदान किया जावेगा?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(घ) करूवानाला चेकडेम में भारी जलभराव से फसल नुकसान न हो इसके लिए कोई योजना तैयार की गई हो, तो जानकारी देवें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है.

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जेवरी का एक मामला है। करूवानाला में चेक डेम का निर्माण किया गया है लेकिन निर्माण के बाद किसानों को उसका फायदा तो नहीं मिला लेकिन किसानों को नुकसान पूरा हो रहा है और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। डुबान के नाम से लगातार उसकी शिकायत भी मिली है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उस चेकडेम की व्यवस्था अच्छी हो जाए, तकनीकी रूप से किस तरह से किसानों को उसका लाभ मिल सके और जो फसल डूबान में आ रही है उसका किसानों को मुआवजा मिल सके, इसकी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करवायेंगे क्या?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चाहते क्या हैं ये बता दीजिए। आपकी जानकारी में कितने किसानों का नुकसान हो रहा है?

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 100 से अधिक किसानों की जानकारी है, बाकी कलेक्टर्स के जनदर्शन में उन्होंने शिकायत भी की थी। विभाग के बड़े अधिकारियों ने उसकी जांच भी की है और उन्होंने स्वीकार भी किया है कि उससे फसल को नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं कि चेकडेम से जो तकलीफे हैं, तकनीकी रूप से जो समस्यायें हैं उसे दूर किया जाए। कोई उच्चस्तरीय अधिकारी भेजकर उसकी जांच कर उस कार्य को सुधारा जाए।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आशीष जी ने प्रश्न किया है, अब ये पुराने सब एनीकट और चेकडेम उस तरीके से बना हुआ है। 100 किसानों का नहीं है केवल एक किसान की शिकायत है जिसने शिकायत आपको भी दी है, जिसने कलेक्टर को भी दिया है, जिसने मुझे भी भेजा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हम एस.ई. को भेज देंगे कि वहां क्या सुधार किया जा सकता है, कितनी राशि और लगाई जा सकती है ताकि किसान का नुकसान मत हो, चेकडेम का उपयोग हो।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धर्मजीत सिंह। संक्षिप्त प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कृषकों का पंजीयन

17. (*क्र. 1013) श्री धर्मजीत सिंह : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 2019-20 एवं 2020-21 में कितने किसानों का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रजिस्ट्रेशन हुआ है और अब तक कितना-कितना भुगतान किया गया तथा कितना शेष है? (ख) उक्त राशि की व्यवस्था कहां से की गई? (ग) कंडिका "क" की शेष राशि का भुगतान कब तक किया जाएगा?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में कृषि आदान सहायता हेतु पंजीकृत किसानों की संख्या, भुगतान की गई सहायता राशि एवं भुगतान हेतु शेष राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शित है.

(राशि रु. लाख में)

क्र.	वर्ष	पंजीकृत किसानों की संख्या	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि
1.	2019-20	1843370	451159.79	111628.89
2.	2020-21 (दि. 15-02-2021 तक)	2161725	-	-

(ख) योजनांतर्गत बजट प्रावधान कर राशि की व्यवस्था की गई है. (ग) कंडिका "क" के तहत खरीफ वर्ष 2019 में उपार्जित धान की शेष राशि के भुगतान की निर्धारित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. वर्ष 2020-21 में अधिसूचित बोये गये विभिन्न फसलों के पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिस पर योजनांतर्गत आदान सहायता राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में प्रावधानित राशि से किस्तों में किया जायेगा.

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में कितने रूपये की राशि भुगतान हेतु शेष है। आपने बताया है कि 1116 करोड़ रूपये। यह कब तक दे देंगे? दूसरी बात मैंने आपसे उपार्जित धान का पूछा ही नहीं था लेकिन आपके अधिकारियों ने इसमें उपार्जित धान की भी जानकारी लिख दी। मैंने किसान न्याय योजना तक मामला सीमित रखा था, आपके अधिकारी और भी ज्यादा जवाब दे दिये, उसकी जरूरत नही थी। आपने ये भी कहा है कि इस बजट में दिया जायेगा तो बजट में प्रावधान है या नहीं यह आप अभी से कैसे जान गये हैं जो आपने बजट के लिए लिख दिया? बजट तो परसों पेश होगा। बजट के बारे में आपने कैसे लिखित में कह दिया कि हॉ बजट में प्रावधान करेंगे। आपको तो जानकारी होगी नहीं। होगी पूरी पर वैधानिक रूप से जो नियम कायदा है उसके मुताबिक वित्त मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री हैं वहीं बता पायेंगे। तो ये बता दीजिए कि 1116 करोड़ रूपये का भुगतान कब तक करेंगे और बजट के बारे में

आपने क्यों कह दिया और उपार्जित धान के बारे में क्यों बता दिया? मैंने उपार्जित धान के बारे में पूछा ही नहीं था।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, कभी-कभी सपनों के माध्यम से भी भावी योजनाओं की जानकारी मिलती रहती है, उसको भी दिख दिया होगा। आपको तो अतिरिक्त जानकारी दी गई ना।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष महोदय, इसमें न तो धर्मजीत भैय्या को कोई सपना आया है और न मुझे कोई सपना आया है। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि व्यवस्था की जा रही है। बजट प्रावधान कर राशि की व्यवस्था की गई है ऐसा लिखा है। पिछले बजट में ही 5700 करोड़ रूपये इसके लिए प्रावधानित है। इसलिए नए बजट के बारे में जैसा आपने कहा ना, जैसा आप पूछ रहे हैं ना कि सपना आया क्या, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई सपने से थोड़ी उत्तर देंगे और धर्मजीत भैय्या, जो पहला प्रश्न आपने किया कि लगभग 1116 करोड़ रूपये जो शेष है वह कब मिलेगा। तो इसी सदन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व ही छत्तीसगढ़ के किसानों को ये राशि दे दी जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ जो गैर पंजीकृत किसान हैं, उनको देंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद 3 में सम्मिलित ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को आगामी कार्यदिवस में लिया जायेगा।

समय :

12:01 बजे **प्रतिवेदनों की प्रस्तुति**

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का द्वितिय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन

सभापति (डॉ. प्रीतम राम):- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का द्वितिय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

समय :

12:02 बजे **माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)**

"माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण की चर्चा में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

समय :

12:03 बजे **(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, वास्तव में जो माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण है यह सरकार के वर्तमान के कार्य और भविष्य की योजनाएं परिलक्षित होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए कि आने वाले समय के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। लेकिन जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महोदया का अभिभाषण हुआ है और सरकार के द्वारा जो कहलवाया गया है, वह सत्यता से परे है। इस सरकार की जो बुनियाद है, वह असत्य पर आधारित है। यह सरकार असत्य की बुनियाद पर खड़ी हुई है। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने जो चर्चा उठाई कि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जनघोषणा पत्र जारी किया गया और उसके बाद में जब इस सरकार का पहला अभिभाषण हुआ तब वर्ष 2019 में माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कण्डिका 5 में उसको आत्मसात किया गया है। यदि आत्मसात किया है तो उसका पालन होना चाहिए, लेकिन पूरे अभिभाषण को पढ़ने के बाद में जनघोषणा पत्र को आत्मसात किया गया है। इसमें कहीं से उसका मेल नहीं है। मैं कुछ बातों को यहां पर रखना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हम 25 घोषणाएं पूरी कर दी हैं। कल अभिभाषण की चर्चा में माननीय मोहन मरकाम जी ने कहा कि हमने 24 घोषणाएं पूरी कर दी हैं। इसके पहले जो जनघोषणा पत्र बनाये थे जो कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हमने 13 घोषणाएं पूरी कर दी हैं। अब जनघोषणा पत्र जो बनाने वाली कमेटी के जो अध्यक्ष हैं तो जनघोषणा पत्र की जो क्रियान्वयन समिति है, उसके वह सदस्य भी नहीं हैं। इसलिए यह जो बातें आ रही हैं कि हमने 25 घोषणाएं पूरी की तो किसी ने कहा कि हमने 13 घोषणाएं पूरी कीं। तो किसी ने कुछ और कहा। मैंने इसीलिए कहा कि यह सरकार असत्य के बुनियाद पर खड़ी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसका आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं बाकी विषयों में आऊंगा। जब सरकार ने जनघोषणा पत्र जारी किया तो उन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे। सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा कि हम अल्प अवधि का माफ करेंगे। 2500 रूपये धान की खरीदी में देने की बात कही थी। 2 सत्रों से बजट हो या अभिभाषण की चर्चा हो। लगातार सत्तापक्ष के सदस्यों के द्वारा यह कहा जाता रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2500 रूपये समर्थन मूल्य दिया। आज इस विधान सभा में एक भी सदस्य नहीं है जो हाथ उठाकर कह सके कि उनके खाते में 2500 रूपये चला गया। आज भी उनके खाते में 2500 रूपया नहीं गया है। क्योंकि यह सरकार आज तक 2500 रूपये नहीं दी और यदि बोनस की बात करेंगे तो राज्यपाल महोदया का तीसरा अभिभाषण है। हम राज्यपाल महोदया के तीसरे अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरे अभिभाषण में बोनस का दूर-दूर तक हवाला नहीं है कि बोनस भविष्य में दिया जायेगा । माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमने 14 जीन्सों को भी समर्थन मूल्य देने का तय किया है। कौन सा तय किये हैं, चना 4700 रुपये प्रति क्विंटल, केन्द्र ने उसको 4875 रुपये प्रति क्विंटल दिया है, मक्का 1700 रुपये प्रति क्विंटल, केन्द्र ने उसको 1850 रुपये दिया है, सोयाबीन 3500 रुपये क्विंटल, केन्द्र ने 3880 रुपये क्विंटल दिया है। केन्द्र ने जिन जीन्सों का दिया है। पिछले बार हम लोगों ने मक्का का देखा है, किसान 1200, 1300 रुपये में बेचने को परेशान हुए। यदि हमने समर्थन मूल्य घोषित किया है तो उस समर्थन मूल्य के नीचे किसानों के जींस की बिक्री नहीं होनी चाहिए। सरकार के द्वारा उसको सुनिश्चित किया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जाना चाहिए कि हमने घोषणा किया है तो हम यदि मंडी में व्यवस्था करें, जहां भी सरकार व्यवस्था करें, लेकिन उन जीसों को किसान को समर्थन मूल्य से कम में बेचने को मजबूर न होना पड़े। हम लोगों ने देखा कि पिछले समय मक्का को कम मूल्य में बेचने के लिए कितने किसान मजबूर हुए। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने हॉफ बिजली की बात कही है। युवा वाला तो अभी शुरूआत ही नहीं किये हैं और न अभिभाषण में लिखा गया है। मुझे लगता है कि इसमें भी एक लाईन लिख दिये होते कि युवाओं की बेरोजगारी के ऊपर में विचार किया जायेगा। 1 रुपये किलो में चावल दिया जा रहा था, सरकार बनने के बाद में 10 रुपये किलो में आ गये। आजकल राजा साहब के मुंह से यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम नहीं सुनाई देता। वह योजना का नाम बोलना बंद कर दिये। आजकल उनके मुंह से योजना का नाम ही नहीं निकल रहा है। यही कहीं दिख नहीं रहा है कि उनकी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम कहां है? उस पायलेट प्रोजेक्ट की भी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है जो 5 विकासखंड में दिया गया है और आजकल वह बोलना भी बंद कर दिये हैं। मैं देख रहा था कि विदेशों की यात्रा हो रही थी, हम पूरी दुनिया से अच्छी हेल्थ स्कीम ले करके आयेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, अभी पूरा ध्यान गोबर खरीदने में है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं गोबर खरीदी में बात में आ रहा हूं। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का क्या हुआ? आपने हमारी स्कीम तो बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी की स्कीम को इधर-उधर कर दिये। लेकिन आपकी योजना धरातल पर कहां है? वह कहीं न कहीं दिखाई तो देनी चाहिए। उसका हाथ पैर तो निकलना चाहिए न, लेकिन वह योजना कहीं पर नहीं है। मैं महिला सुरक्षा में बाद में बात करूंगा, क्योंकि लगातार उस विषय में चर्चा हो रही है। अभी जो प्रश्न आया था, 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 1000 रुपये, 75 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 1500 रुपये, विधवाओं को 1000 रुपये देने का जन घोषणा पत्र में आत्मसात किया है। मैंने केवल एक प्रश्न मंत्री जी से किया कि आपको मालूम है या नही है कि आपने आत्मसात किया है। उसका कहीं पर जिक्र नहीं है। इस अभिभाषण में भी जिक्र नहीं है। हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, उसकी कोई योजना हो। महिला स्वसहायता समूह का कर्ज माफ होगा। सभापति महोदय, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन यदि आपने आत्मसात किया है तो यह कांग्रेस का डाक्यूमेंट नहीं है, अब यह मुख्यमंत्री का डाक्यमेंट है, प्रदेश अध्यक्ष का नहीं है। यदि मुख्यमंत्री का डाक्यूमेंट है और कह रहे हैं कि हम तो 25 वादे पूरे कर दिये, हम सारा पूरा कर दिये। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पूर्ण शराबबंदी हो गई, 4 गुना मुआवजा का है। यदि मैं वास्तविक में पूरे अभिभाषण की बात करूं तो सभापति महोदय, आपको लगेगा कि इनका अभिभाषण नहीं है, बल्कि केन्द्र सरकार का अभिभाषण है। इस अभिभाषण में इन्होंने लिखा है कि हमने 8 महीने तक नि:शुल्क चावल पहुंचाया। अमरजीत भगत जी नहीं हैं। यह 8 महीना का चावल वही है जो केन्द्र सरकार ने दिया है। यह थोड़ा सा सोसायटी में इक्वायरी करा लें। यदि आपने दिया है तो उनको 8-8 महीनों को दो बार चावल मिलना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहिए। एक चावल केन्द्र सरकार का, एक चावल आपका मिलना चाहिए। जो केन्द्र सरकार का चावल है उसको आपने वाहवाही लूटने के लिए बता दिया कि हमने दिया है। वह आपका चावल नहीं है, केन्द्र सरकार ने दिया है। लेकिन उसका जिक्र जरूर हुआ है। वैसे जिक्र उसी का हुआ है जो केन्द्र सरकार का है। आपने कहा कि हमने पंचायतों में दो-दो क्विंटल चावल जमा किया। उसमें भी आपका कोई योगदान नहीं है । पंचायतों से जो चौदहवें वित्त आयोग की राशि मिली, आपने 32 रूपए के हिसाब से उनसे काट लिया, एडवांस में चेक लिया तब आपने उनको चावल दिया है । इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है जो केंद्र सरकार का है और हमारे पंचायत का है । क्वारेंटाईन के ऊपर बहुत चर्चा कर चुके हैं, मुझे और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । उसमें तो हम माननीय राजा साहब को केवल एक ही बात बोलते हैं कि आपकी जो उधारी है, आप मुख्यमंत्री जी से बात करके उस उधारी को छूट दीजिए । माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया था कि हम उसको दिखवा लेंगे क्योंकि पंचायतों की स्थिति आपको मालूम है कि सारी योजनाएं आपने चौपट कर दी है, आपने सारी योजनाएं बंद कर दी हैं और इसलिए सरकार को कहीं न कहीं से उसका कंपनसेट करना चाहिए । इसमें जिक्र क्या हुआ है, आपने यह बताया कि मनरेगा में हमने बहुत अच्छा काम किया, इतने लाख मजदूरों को हमने काम दिया, 2900 करोड़ रूपए का कार्य हुआ है । जिसमें केवल 200 करोड़ रूपए की सरकार की भागीदारी है और 300 करोड़ रूपए का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है यह मनरेगा में इनकी हिस्सेदारी है, वह जो बोलते हैं न कि नाखून कटाकर शहीद कहलाने वाले । उस श्रेणी में जोड़ने वाली यह सरकार है। उसके लिये जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि यदि यहां पर 25 लाख 28 हजार लोगों को मनरेगा में काम मिला है तो मैं इस सदन के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपके कारण यहां के मजदूरों को काम मिला है । आपने प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात की, बहुत अचछी बात है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर 5600 सौ किलोमीटर उसके विस्तार की योजना की बात आयी । क्या उसमें आपका कोई योगदान है ? मैं तो समझता था कि आप लिखेंगे कि हम इतने किलोमीटर का विस्तार करेंगे, आपकी जो ग्रामीण सड़कें हैं आप उसका विस्तार कर रहे हैं । आपकी जो मुख्यमंत्री सड़क है उसका विस्तार कर रहे हैं लेकिन केवल लाईन लिखा गया है क्योंकि आपके पास बताने के लिये क्या है । आपके पास वही है जो प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया है ।

माननीय सभापति महोदय, आपके पानी की बात आयी कि हम वर्ष 2023 तक 45 लाख परिवारों के घरों में नल पहुंचायेंगे, वह कौन सी योजना है ? जल जीवन योजना । इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा तय किया गया है और तय करने के बाद यह कहा गया है कि हम पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे । यानी केवल उसको शामिल किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नरवा-गरूवा, घुरवा-बाड़ी । उसमें भी आपका योगदान नहीं है । उसमें आपका दारू का योगदान

आ रहा है । यह आपका जरूर योगदान है कि आपके फण्ड में पैसा नहीं है कि दारू का पैसा वसूल करके, शेष लगाकर के हम अपने गौठान को कैसे बना सकें नहीं तो सारी की सारी राशि आपके मनरेगा के अंतर्गत चाहे आप चबूतरे की बात करें, आप नरवा की बात करें, आप घुरवा और गरूवा की बात करें । मैंने इसीलिए कहा कि महामहिम जी का अभिभाषण है, यह राज्य का नहीं बल्कि केंद्र सरकार की योजना है उसी को आप बता पाने में सफल हुए हैं, आप अपनी एक भी योजना नहीं बता पा रहे हैं यही माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ विषयों का जिक्र करना चाहता हूं कि यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है । चूंकि किसानों का प्रदेश है और मैं किसानों की बात कर रहा हूं तो 2 साल के अंदर 439 किसानों ने यहां पर आत्महत्या की है, जो प्रश्न में आया था, 9-10 महीने का आया था । आपके शासनकाल में 439 किसानों ने आत्महत्या की । आत्महत्या के अलग-अलग कारण हैं लेकिन आज किसानों की जो बात आती है और किसानों के लिये आपने जो काम किया, जिसका मैंने एक लाईन में उल्लेख किया है और बहुत ज्यादा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को बोलते हैं कि 15 साल में माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने क्या किया ? कहते हैं कि आपने मोबाइल बांटा और हम यह काम कर रहे हैं । बहुत अच्छा किया आपने, आपने कहा कि हमने केवल मोबाइल बांटा और 15 सालों में कोई काम नहीं किया । लेकिन आप मुझे यह बताएं कि 50 हजार पम्प कनेक्शन को बढ़ाकर 5 लाख तक कैसे पहुंचाया गया । अपने आप पहुंच गया ? हम लोग मध्यप्रदेश में विधायक थे, आप भी विधायक थे, मुझे वह बात याद है जब पम्प कनेक्शन की बात आती थी और टारगेट निर्धारित किया जाता था तो छत्तीसगढ़ को 2300, 2400 पम्प कनेक्शन मिलते थे। आज कांग्रेस की सरकार आने के बाद फिर से वही स्थिति निर्मित हो गई । आपको तो मोबाइल नहीं बांटना है, आप तो किसानों के हितैषी हैं । आप कनेक्शन क्यों नहीं दे पा रहे हैं और किसानों को कनेक्शन क्यों नहीं मिलना चाहिए ? जब उनकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, गरीब किसानों ने पैसा पटा दिया है । उसके बाद भी हमारे किसानों को पम्प कनेक्शन नहीं मिल रहा है । सामान्य और पिछडा वर्ग के किसानों को तो छोड़ दीजिए, आज इस सरकार के कार्यकाल में यदि सबसे ज्यादा पीड़ित हैं तो एस.सी और एस.टी. के किसान हैं । उनके पम्प के कनेक्शन नहीं लग रहे हैं । उन्होंने उधार लेकर पैसा पटाया है कि हमारा पम्प कनेक्शन लग जाए । सभापति महोदय, आज 38/40 हजार की पेंडेंसी है, अस्थायी कनेक्शन 1 लाख की पेंडेंसी है आखिर यह स्थिति क्यों बन रही है ? हम पम्प कनेक्शन क्यों नहीं दे पा रहे हैं ? हम एक तरफ सिंचाई की क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं, सिंचाई क्षमता दुगुनी करना चाहते हैं । न तो आपका कोई बड़े डेम का प्रोजक्ट आया है जिसका काम चल रहा हो । पम्प के माध्यम से जो सिंचाई करते हैं, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है । आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है ? माननीय सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ जिस प्रकार से बातें आ रही है । उसके अनुसार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हमारे मुख्यमंत्री जी को एक महारत हासिल है । पूरे भारत में यदि सबसे ज्यादा पत्र लिखने वाले मुख्यमंत्री हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, पत्रजीवी मुख्यमंत्री । और उसके बाद में इतिश्री । इस काम में निश्चित रूप से महारत हासिल है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- और पूरे देश में सबसे अच्छा काम करने वाले मुख्यमंत्री भी हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सबसे अच्छे मुख्यमंत्री वे हैं या नहीं, यह तो अभी बहस में साबित होगा, लेकिन पूरे देश में आप निर्विवाद रूप से आप सबसे अच्छे मंत्री है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं बता रहा था कि 439 किसानों ने आत्महत्या की, प्रतिमाह 17 और हर दो दिन में 1 किसान, यह जनहितैषी, किसान हितैषी सरकार की स्थिति है । उसके बाद प्रश्न के जवाब में हम लोगों ने देख लिया कि इस सरकार की किसानों के प्रति कितनी सहृदयता है । उनके लिए कितनी सोच रखते हैं, इसे भी हम लोगों ने देख लिया है । सभापति महोदय, बहुत सी बातें आई हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता । जिस तरह से सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने की बात आई कि हम दुगुना करेंगे । मुख्यमंत्री जी, दो साल का समय निकल गया और 4 माह अधिक हो गया । आखिरी साल का कितना होगा, मुझे नहीं मालूम। इसलिए दुगुना करने की बात को इसी आने वाले बजट में लोग देखेंगे और उसका आंकलन कर लेंगे कि कितना बढ़ाने की आपने क्षमता है । जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय 1 जनवरी 2001 में 23 प्रतिशत यहां की क्षमता रही है । उसके बाद 1 दिसम्बर 2018 को 36.54 प्रतिशत सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है । उसके बाद 30 जनवरी 2021 को 38.44 प्रतिशत सृजित सिंचाई क्षमता । यानी इन दो सालों में 2 प्रतिशत से भी कम सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है । इस तरह से ये सिंचाई क्षमता को डबल करने वाले हैं । यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह विधान सभा का रिकॉर्ड है । इस रिकॉर्ड के अनुसार से है कि सिंचाई क्षमता में हमारी कितनी वृद्धि हुई है? बोधघाट परियोजना। कल तक मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते थे और बैठकर सलाह देते थे। मुख्यमंत्री जी एक लंबी चौड़ी घोषणा लेकर आये। जैसे चुनाव के पहले मैंने उनकी घोषणा को बताया कि कैसे लोगों को सपना दिखाया जाये और आने के बाद उस सपना का चकनाचूर कैसे किया जाये। यह बोधघाट परियोजना भी उसका उदाहरण है कि जिस परियोजना को उनकी सरकार ने बंद कर दिया और बंद करने के बाद अब लाये हैं और लाने के बाद उन्हीं के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो पहले भी उसका विरोध कर चुके हैं। आज वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं, जो कल तक मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठते थे। एक तरफ हम लोगों के सामने यह दिखाना चाहते हैं कि हमारी नीयत ठीक है, लेकिन जिस परियोजना की बात आ रही है, वह केवल दिखाने के लिए है, क्रियान्वयन के लिए नहीं है और इस बात में विस्तृत चर्चा हुई है, इसलिए मैं ज्यादा इस परियोजना के विषय में नहीं जाना चाहता। अब गोधन न्याय योजना। सभापति महोदय, गोधन न्याय योजना की इनकी क्या स्थिति है, मैं आपको बताता हूं। वह भी मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2 लाख 70 हजार पंजीकृत पालकों द्वारा 1 लाख 67 हजार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गौ पालकों ने गोबर बेचा। कितने का बेचा 71 करोड़ का। और 71 करोड़ में 4 करोड़ का भुगतान और आना है। इसमें मैंने पूरा आंकड़ा निकाला है तो 10 हजार से कम भुगतान पाने वाले 1 लाख 53 हजार लोग हैं, जिन्हें 10 हजार रूपया मिला है 7 महीने में। अमरजीत जी, 1 लाख 53 हजार लोग। उसके बाद में अब यह बताइए कि दिन भर बेचारा जो गोबर इकट्ठा करता है और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 45 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से आ रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आप गय्या पाले हैं या नहीं पाले हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप मेरे घर दूध पीने के लिए आइए।

श्री अमरजीत भगत :- मैं बोल रहा हूं कि अगर मवेशी पाला है और घर में बैठे उन्हें इतने की आमदनी हो रही है तो आपको इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं इसे बता रहा हूं न। मैं इसे इसीलिए बोल रहा हूं। क्या है आप बोलते हो न तो मुझे बहुत खुशबू आती है, सुगंध आती है। अलग-अलग प्रकार के गोबर को पहचान लेता हूं, इसलिए मैंने दूसरे मंत्री को नहीं बोला।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें तो पेपर में आप ही लोगों की तरफ से छपा था कि जो गोबर के बारे में जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसका जो जैविक खाद बेचा गया, आपने 71 करोड़ का गोबर का पेमेंट किया और 71 लाख का आपने अभी जैविक खाद नहीं बेचा है। आप बेचेंगे न 5 साल बाद ? बेचेंगे 5 साल बाद। तो आपने 71 करोड़ रूपये का गोबर खरीदा और 71 लाख रूपये का आपने जैविक खाद नहीं बेचा और यह पैसा आखिर कहां जा रहा है ? मैंने तो गौठान में पता लगाया। कुछ गौठान में बताया गया कि साहब बारिश हुई और हमारा पूरा गोबर बह गया। यह इसी प्रकार की कार्यवाही आपकी सरकार में हो रही है ।

श्री अमरजीत भगत :- आप ऐसे ही पता लगाते रहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं पंचायतों के नाम भी बता दूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- आप ऐसे ही पता लगाते रहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं पंचायतों के नाम भी बता देता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- आप ही लोगों का कहना था नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, कहां से आही पइसा सारी और आज यह अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मोदी जी। मोदी जी। आपका ध्यान केवल मोदी जी पर है। आप दारू का पैसा भी उनको नहीं दे रहे हो। आप दूसरे फंड में खर्च कर रहे हो। आप ऐसे कृषि मंत्री जी को फंसा दिये हो। जवाब नहीं आ पा रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दारू के पइसा आप ला चाहिए का ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- दारू का पैसा मंत्री जी आपको भेज देंगे। आप चिंता मत करो। एक मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट है सुपोषण। सुपोषण में जितना खर्च किया जाता है, इस बार उसे अलग से दिया गया है। हम लोगों ने भी कहा कि उसे देना चाहिए और कुपोषण से सुपोषण की ओर प्रदेश को बढ़ाना चाहिए। कल बहुत चीख-चीख कर चिल्ला रहे थे। 99 हजार बच्चे लोगों को हमने सुपोषित किया है। 99 हजार बच्चों को कुपोषण से सुपोषण की ओर ले गये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने नेशनल फैमली हैल्थ का सर्वे किया है । नेशनल फैमली हैल्थ सर्वे के अनुसार 2005 से 2015 तक का जो सर्वे आया है, रिपोर्ट आयी है, उसमें कुपोषण में प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत कमी आई है, हर साल 2 प्रतिशत की कमी आई है । मुख्यमंत्री जी ने कुपोषण में अभी जो कहा कि केवल दो प्रतिशत की कमी आई है । इन दो सालों में इस मद में 15 अरब खर्च हुए हैं और 15 अरब खर्च करने के बाद, 100 करोड़ रूपए लेने के बाद में 24 लाख बच्चे पंजीकृत हुए हैं । 24 लाख बच्चे में आपने 99 हजार बताया तो उसका प्रतिशत निकाल लीजिए । प्रतिशत निकालेंगे में जो डंका बजा रहे थे कि कुपोषण से सुपोषण की ओर मुख्यमंत्री जी ले जा रहे हैं तो पिछले वर्षों में हर साल दो प्रतिशत की कमी आई, इसमें भी दो प्रतिशत की कमी आई है ।

श्री अमरजीत भगत :- सभापति महोदय, नेता जी, आपने अभी बताया कि वर्ष 2015 तक 15 साल में दो प्रतिशत की कमी आई है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- प्रतिवर्ष ।

श्री अमरजीत भगत :- और इस साल केवल 2 साल में 2 प्रतिशत की कमी आई है तो बेहतर रिजल्ट किसका है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- आप नहीं समझेंगे, वह आपकी समझ में नहीं आएगा ।

श्री अमरजीत भगत :- आप आंकड़े बता रहे हैं तो आंकड़े ठीक-ठाक बताईए । श्री धरम लाल कौशिक :- प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की कमी और इस वर्ष भी दो प्रतिशत की कमी आई है, जब पूरे प्रदेश में स्पेशल अभियान चलाया गया, तब दो प्रतिशत की कमी आई है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यह सर्वे बोल रहा है ।

सभापति महोदय, लगभग 5 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद रिक्त पड़े हुए हैं, पूरा आंगनबाड़ी खाली हैं । उसके रिक्तियां भी नहीं कर पा रहे हैं । मैं सोच रहा था कि अभिभाषण में बताएंगे कि भविष्य में रिक्तियों की पूर्ति करने वाले हैं, परन्तु उसका जिक्र भी नहीं हुआ । माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में मध्याहन भोजन के बारे में बात आई है कि हमने इतने लोगों को सूखा राशन दिया, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, यह आपको मालूम है ? आपने 2020 से 42, 63, 45 और 42 दिन के लिए सामग्री की खरीदी हेतु आदेश जारी किया, उसमें करोड़ों रूपए का भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, वह कैसे हुआ है, वह मैं आपको बता रहा हूं । एन.सी.सी.एफ., नफेड और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

केन्द्रीय भंडार जैसे संस्थाओं को बिना निविदा के उनको ठेका नहीं दिया जा सकता, । इसमें प्रतिबंध लगा हुआ है । निविदा करके उनसे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने उन्हीं को ठेका दिया है, जिसके लिए इसको प्रतिबंधित किया गया है । यह आपका भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, अभी भी 2019-20 की जो राशि है, उसमें 1 करोड़ से अधिक छात्रों की छात्रवृत्ति का वितरण अभी तक नहीं हुआ है ।

श्री अमरजीत भगत :- आप गलत पन्ना पढ़ लेते हैं । भारत सरकार के द्वारा जो नामित एजेंसी है, उनको सीधा टेण्डर दिया जा सकता है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं आपको अभी बता देता हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- वही तो आप आगे-पीछे का पन्ना पढ़ लेते हैं । आपका आंकड़ा सही नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आपका दूध-भात है । सभापति महोदय, आज के ही अखबार में छपा है कि घोटाला कैसे होता है । खाते में लौटाए 74 लाख में से 40 लाख रूपए । वहां पर आर.टी.ई. के बच्चे नहीं हैं, उनका भुगतान हो गया, कहीं न कहीं से उनकी बात सामने आई और बात आने के बाद में उस पैसे को अपने खाते से निकालकर वापस कर रहे हैं । यह आपके अधिकारियों के कारनामे हैं । जब वहां पर बच्चे नहीं हैं तो किसके लिए उसका भुगतान हुआ और क्यों भुगतान हुआ, उसके खिलाफ ये लोग क्या कार्यवाही करेंगे ? यह आने वाले समय में आएगा । यह उसका उदाहरण है, जिस प्रकार से यहां पर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है । इसी प्रकार यहां पर फीस विनियामक आयोग तो लाया गया, पर आजतक पता नहीं चल रहा है कि उसका क्या हुआ ? मंत्री जी, आपने यहां पर विधेयक लाया था, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वह कहां पर है, जमीन में अटका हुआ है या आकाश में है ?

शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- वह जमीन में ही है, लागू हो रहा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- रायपुर जिले में जो 200 निजी स्कूल है, उन 200 निजी स्कूलों की मान्यता इन्होंने समाप्त की और समाप्त करने का उसका बड़ा कारण था कि उसको क्यों समाप्त किया गया। जब बड़े अधिकारी को पता लगा तो संचालक शिक्षा ने उसको निरस्त किया। निरस्त करके बताया कि इसमें आपका अधिकार नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- निरस्त करने के बाद गंगा में पानी बह गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह जो सरकार चल रही है, उसका एक नमूना है। आपने जिला शिक्षा अधिकारी ने मांग की और जब मांग की पूर्ति नहीं हुई तो आपने उसको निलंबित किया।

श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, जो गलत किया था उसको निलंबित किया। उसमें कार्रवाई तो हुई।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं वही तो आपको बोल रहा हूं। आपके यहां भ्रष्टाचार कैसे चल रहा है, यह उसका नमूना है। आपने उसको स्वीकार किया, उसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं। मेरे विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, मैंने कार्रवाई की है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी, लेकिन यह आपके विभाग में और आपके आंख के नीचे चल रहा है। आपको आंख खोलकर सरकार चलाने की आवश्यकता है, आंख बंद करके नहीं।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आपको हर काम में भ्रष्टाचार दिखता है। एक तरफ बोलते हैं, काम नहीं हो रहा है, दूसरे तरफ बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- ध्यान रखना, आपकी बारी आयेगी तो भड़कना मत ना। इसके बाद आपकी बारी है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके मंत्री स्वीकार कर रहे हैं। कल आप स्वीकार नहीं कर पाये, आज स्वीकार कर रहे हैं। सभापति महोदय, मंत्री जी आपको बिलासपुर की घटना ए.टी.एम. घोटाला मालूम है। मालूम है कि नहीं है। उसमें भी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई किये लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। इनके को-आपरेटिव बैंक में लोग जाकर पूरी उम्मीद के साथ धान बेचते हैं, पैसा जमा करते हैं। ये ए.टी.एम. बना लिये और ए.टी.एम. बना करके दूसरे की राशि को कोई दूसरा निकाल लिया। जो व्यक्ति बैंक में राशि जमा किया है, वह पूरे प्रदेश में घूम रहा है और घूम करके बता रहा है कि भैया मेरा पैसा तो वापस करा दो। ये बोल रहे हैं कि हम उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद आपका पैसा मिलेगा। जब यह विधानसभा की स्थिति आई..।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आपके उस जिले के होते हुए भी ऐसा हो गया। आप क्या कर रहे थे ?

श्री धरमलाल कौशिक :- ये मेरी जवाबदारी नहीं है। उस जिले में क्या हुआ? आप बैठे हो, यह आपकी जवाबदारी है।

श्री अमरजीत भगत :- सबकी जवाबदारी है। आप वहां रहते हैं, उसके बाद भी कैसे हो गया ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आप मंत्री पद छोड़ दीजिए, हम संभाल लेंगे। आपके बहुत सारे सदस्य बैठे हैं। आपकी जगह को संभाल लेंगे। आप चिंता मत करो, बहुत सारे लोग क्यू में हैं। आप इस प्रकार से जवाब देंगे ना तो बिल्कुल बैठे हुए हैं। हम लोग वोरा जी को बोल देंगे। वोरा जी आपका नंबर है।

श्री अरूण वोरा :- यही बोलना है तो आप बता दीजिए कि कौन-कौन क्यू में लगे हुए हैं।

श्री सौरभ सिंह :- वोरा जी, वैसे भी आपके ही विभाग के अध्यक्ष हैं।

श्री अमरजीत भगत :- मैं बोल रहा हूं कि आप वहां रहते हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गयी। आप क्या कर रहे थे ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति महोदय, इस सरकार में जहां ऊंगली रखोगे वहीं छेद है। कोई एक जगह हो तो बताऊं। इस प्रदेश में सरकार आने के बाद दुर्भाग्यजनक स्थिति है।

श्री अमरजीत भगत :- आप छेद वगैर: के चक्कर में मत पड़िये। सीधा-सीधा बात करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं जो बोल रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, उसको मंत्री जी इंकार करे। मंत्री जी, ठीक बोल रहा हूं। कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। आप इंकार करिये ना।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मंत्री जी ला मत छेड़।

श्री धरमलाल कौशिक :- भैया, मोर भाटो हरे, मैं मोर भाटो के तरफ देखकर बात करत हंव।

डॉ. प्रेमसय सिंह टेकाम :- सालों को इतना अधिकार तो रहता ही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आज के ही समाचार पत्र में बर्तन घोटाला छपा हुआ है। पता नहीं, इनका ए.टी.एम. घोटाला, बर्तन घोटाला कैसा-कैसा घोटाला उजागर हो रहा है। । आपको पहला घोटाला बता दिया कि क्या हुआ है। घोटालों से परिपूर्ण सरकार। इनको अगर उपाधि दी जायेगी तो एक लाईन में घोटालों की सरकार कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इसलिए आपको विधानसभा में इस उपाधि से नवाजा जाना चाहिए।

श्री शैलेश पांडे :- सभापति जी, सारी प्रेस माननीय नेता जी के विधानसभा क्षेत्र में है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप तो कल बोल लिए, मैं एक भी बार खड़ा नहीं हुआ हूं। आप क्या-क्या बोले हो, मैं सब लिखा हुआ हूं।

श्री शैलेश पांडे :- आप खोदापुर भूल गये क्या ? आपको छेद्दा, छेद-छेद दिख रहा है, आपको वह गड्ढापुर, खोदापुर नहीं दिख रहा है।

श्री सौरभ सिंह :- आप मछली का सवाल क्यों लगा देते हो, आपको मछली से कोई लेना देना नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- सौरभ सिंह जी, जिले वाले हैं, बात करने दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- पूरा बिलासपुर में खोदकर छेद ही छेद कर दिये हैं।

श्री शैलेश पांडे :- गड्ढा-गड्ढा कर दिये हैं। ये केवल छेद की चिंता कर रहे हैं। आप गड्ढापुर करके शेर जी, गुड़ाखू ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके मुख्यमंत्री जी चले गये हैं, वहां से सुन रहे होंगे। मैं आपकी निर्णय क्षमता की तारीफ करता हूं।

श्री शैलेश पांडे :- कौन सी ?

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने जिस दिन विधानसभा का सत्र हुआ, पहली बार इस सदन में आये तो दो निर्णय लिया। हम दो निर्णय ले रहे हैं बोले और आपने दो निर्णय क्या लिया ? आपके स्काईवाक और सिवरेज, जहां बैठे हुए हैं। आपके सिवरेज का दो ढाई साल में क्या हुआ उसका क्या

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निर्णय हुआ ? बनाना है या नहीं बनाना है, तोड़ना है, आगे ले जाना, या पीछे ले जाना है? भगवान इनको सद्बुद्धि दे।

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय सभापति महोदय, भुगत तो रहे हैं। आप 11 साल तक खोदते रहे और आपने एक बार भी सीवरेज का टेस्टिंग नहीं करवाया। बिलासपुर में बैठे-बैठे जनता के 400 करोड़ रूपये का चूना लगा दिया।

श्री अमरजीत भगत :- जो पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री थे, उनके सामने तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बोल सकते थे।

श्री शैलेश पाण्डेय :- सभापति महोदय, आज भी हमारे भैय्या (श्री धरम लाल कौशिक) का फोटो नहीं छपता है। वहां आज भी फ्रंट पेज में दीया जलाते हुए सेठ जी का फोटो छपता है। आज भी बेचारे खड़े रहते हैं। आज भी कितनी दुर्दशा है। मुझे बहुत खराब लगता है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि उसको तोड़ देना चाहिए। आज आप सरकार में आ गये हैं तो तोड़ने के लिए किसने रोका है ? उसको क्यों नहीं तोड़ते हैं ? आप उस पर क्यों निर्णय नहीं लेते हैं ? इन्होंने सीवरेज के बारे में कहा, आप सीवरेज के बारे में निर्णय क्यों नहीं लेते हैं कि उसको वापस लेना है या आगे बढ़ाना है ? आज उसको न खाने की स्थिति में है या न उगलने की स्थिति में हैं। उसको न तोड़ पा रहे हैं और न बना पा रहे हैं। लेकिन अब यदि उसको बनायेंगे तो अब जो राशि लगेगा, केवल आपके द्वारा विलंब से निर्णय लेने के कारण सरकार को अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी, वह केवल आपके कारण होगा। त्वरित निर्णय लेना चाहिए। अभी तक ये दो निर्णय पेण्डिग है, जिसके लिए पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसमें जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि क्या निर्णय आना है। जनमत संग्रह भी हो गया और जनता ने भी अपना निर्णय बता दिया कि इसमें क्या निर्णय होना चाहिए। लेकिन आप आज तक निर्णय लेने में असफल रहे हैं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने एक काम अच्छा किया, जो मशीन धूल खा रही थी, उसका लोकार्पण किया। अभी आपने उसका लोकार्पण किया ताकि लोगों को सुविधा मिले। उसी प्रकार से आज अनेक अस्पतालों में महंगी मशीन, उपकरण आकर पड़े हुए हैं, धूल खा रहे हैं, जिसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि उसका लाभ मिले। मेकाहारा के ऊपर लोगों को बहुत उम्मीद है। सिम्स के ऊपर लोगों को बहुत उम्मीद है, उसके ऊपर भरोसा है। आप उसको जितना सुसज्जित करेंगे, आज उसको जितना सुदृढ़ करेंगे, उसका लाभ गरीब लोगों को मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यदि आप इतनी महंगी मशीन बुलवा चुके हैं तो कहीं न कहीं उसका उपयोग होना चाहिए। उपयोग होगा तो जनहित में होगा, खासकर गरीबों को लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आजकल राजा साहब का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ड्रीम प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। राजा साहब आजकल चर्चा करना ही बंद कर दिए हैं, उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं। लोग बहुत उम्मीद से पूछते हैं कि वह योजना कहां पर है ?

मानननीय सभापति महोदय, हमारे पंचायत मंत्री जी को अपनी योजना में क्या करना है, उसकी जानकारी नहीं बता पा रहे हैं। मोदी जी ने क्या दिया है, आखिर उनके विभाग के बारे में अभिभाषण में क्या लिखा है ? तो उन्होंने केवल उन्हीं के बारे में उल्लेख किया कि हम प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये सड़क बनवाने वाले हैं, हम पानी पिलाने वाले हैं, हमने मनरेगा में काम दिया है। तो मैंने उसमें भागीदारी बता दिया 200 करोड़ रूपये की भागीदारी है और 300 करोड़ की उधारी है। आज हमारे पंचायत शून्य हो गये हैं। बड़ी मात्रा में जनप्रतिनिधि चुनकर आये, चुनकर आने के बाद जो उनकी उम्मीदें थीं, इस सरकार ने आज पहली बार गंगा बहाया है कि पिछले भा.ज.पा. की सरकार में जो पैसा दिया गया था, उस पैसे को भी वापस बुला लिया गया और पैसा वापस बुलाने के बाद आज तक विभाग में पैसा नहीं गया है। इसलिए मैंने कहा कि क्वारनटाइन के पैसे का निर्णय कीजिये और हमारे जो सरपंच उधारी लिए हुए हैं, उनको तो कम से कम दे दीजिये, बहुत अच्छा रहेगा। आज हमारे सब सरपंच बेचारे लोग देख रहे हैं और सरपंच कुछ काम करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास कोई फण्ड नहीं है। 14वें वित्त आयोग की राशि का पैसा नहीं मिला, 15वें वित्त आयोग की राशि की बात है, उसके लिए भी उनके सामने बहुत दिक्कत है। इसलिए उसमें कुछ न कुछ करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग राजा साहब के विभाग के टेण्डर के बारे में प्रश्न लगाये थे, उनको निरस्त करना पड़ा और अभी एक और मामला आया कि सरगुजा मेडिकल कालेज में जून, 2020 में Amoxicillin दवाई बैच नंबर एम.ए.पी. 1014 भेजी गई और भेजने के बाद अभी 10 दिन पूर्व उसे वापस मंगाने का उन्होंने आदेश जारी किया है। क्यों आदेश जारी किया गया है क्योंकि प्रयोगशाला से वह अमानक आ गया है कि ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए। उसे अभी तक 400 बच्चों को खिला चुके हैं और अब आदेश जारी कर रहे हैं। तो वैक्सीन के बारे में तो राजा साहब बोल रहे हैं कि वैक्सीन का पहले ट्रायल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे, जो दुनिया मान रही है, पूरे प्रदेश में उस वैक्सीन को स्वीकार कर रहे हैं, आपको उस पर आपत्ति हो रही है और आप अमानक दवाई को जो भेज रहे हैं उस पर चिंता नहीं होनी चाहिए। जब उसका सारा उपयोग हो गया तो उपयोग होने के बाद उसको आप वापस मंगाने की बात कर रहे हैं और उसे वापस मंगाकर आप क्या करेंगे? आप तो सबको खपा दिये। पहले वह प्रयोगशाला में जाना चाहिए, उसका प्रमाण आना चाहिए, उसका मानक आना चाहिए।

समय :

12.41 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जिस दवाई की बात कर रहे हैं इसकी टेस्टिंग करने के बाद ही दवाई भेजी जाती है। आप तो स्वयं उस बात को जानते हैं कि सीजीएमएससी में कोई भी दवाई आती है, तो उसके उपयोग के पहले उसकी टेस्टिंग होती है। ये अगस्त माह में टेस्टिंग कराकर जिस बैच को भेजा गया था, वहां जाने के बाद जहां से शिकायत आई कि उसकी गुणवत्ता में फर्क हो रहा है तो दोबारा टेस्टिंग हुई थी और ये अगस्त का मामला है। अगस्त में ही उसका निराकरण हुआ था। टेस्टिंग के बाद उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें उसकी कारगरता (effectiveness) में कमी बताई गई है जिस कारण से उसे विथड्रा किया गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आज ही समाचार पत्र में छपा है।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। टेस्टिंग का अगर आपने देखा होगा, जो रिपोर्ट है वह 19.09.2020 की है और एक 31 अगस्त को उसकी बात आई थी और जैसे ही हुआ उसकी टेस्टिंग कराकर उसका उपयोग उसी समय रोक दिया गया था।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने बहुत सारी भर्ती किया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय राजा साहब, हमने मोबाईल में केवल आपका ट्विटर पढ़ा कि आप शर्मिंदा हैं। आप क्यों शर्मिंदा हैं?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- ऐसा कुछ हुआ होगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, आपने बहुत सारी नियुक्तियां कीं। अभी मुख्यमंत्री जी के जिले का जो जिला अस्पताल है वहां पर कल 7-8 मरीज तड़पते रहे। उनका ऑपरेशन केवल इसलिए नहीं हुआ कि वहां पर एनेस्थेसिया के डॉक्टर नहीं हैं और उनको 7-8 घंटे के बाद उपलब्ध हुए हैं। जब V.V.I.P. क्षेत्र का यह हाल है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा? इसलिए मुझे लगता है कि इसे सुनिश्चित कराना चाहिए कि यदि उस डॉक्टर के अभाव में ऑपरेशन न हो और यदि किसी के प्रांण चले जाएं तो ये बहुत गंभीर विषय है। शिक्षाकर्मियों की बात आई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने इतने को संविलियन करा लिया। 1 लाख से अधिक शिक्षाकर्मियों को नियमित कराने का काम पिछली सरकार ने किया और पिछली सरकार के नियमितीकरण के बाद अभी शिक्षाकर्मी जो नियमित हुए वह मेरे पास आये थे और ज्ञापन देकर गये हैं कि इस सरकार ने नियमितीकरण करके हम लोगों को नुकसान पहुंचाया है क्योंकि उसमें तो जो 14 हजार हैं उनका तो वैसे ही 8 साल पूर्ण होने का था और केवल तीन-चार हजार लोगों को उसका लाभ मिला, जिस बात का ढिंढोरा पूरे सदन से लेकर बाहर तक पीट रहे हैं कि हमने दो साल में नियमितीकरण किया। उसमें उन लोगों की शिकायत कि एक तो उनकी जूनियारिटी और सीनियारिटी को खत्म कर दिया। इसमें वह जो नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि हमेशा सभी जगह जूनियारिटी, सीनियारिटी की जाती है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, नियमितीकरण से नुकसान होथे अईसे एक आवेदन आपला मिलेहे?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं लाकर दे दूंगा, आपके घर में पहुंचवा दूंगा। आज आपके पास पहुंचवा दूंगा। तो उनकी जो जूनियारिटी, सीनियारिटी खत्म हो गई है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। दूसरी बात विचार करने के बाद में जो वर्ग-1 और वर्ग -2 का अंतराल ठीक है लेकिन वर्ग -3 के पेमेंट का जो अंतराल है उसमें बहुत गैप है। वह केवल मुझसे नहीं मिले हैं बल्कि वह मंत्री जी से भी मिले है, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और सारे विधायकों से भी मिले हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि उसमें विचार करने की आवश्यकता है अन्यथा उनके साथ अन्याय होगा और इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि मैंने यह किया। वास्तव में जो किये तो उसका लाभ मिलना चाहिए और लाभ से वंचित हो रहे हैं तो जो भी उसमें सुधार की गुंजाईश है और जो उस काम को करने की आवश्यकता है वह जरूर करना चाहिए, जिससे उनको लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि समाप्त जल्दी करना पड़ेगा। मैं घड़ी को देख रहा हूँ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया:- तैयारी कम हे, तेखर सेती हे।

श्री धरमलाल कौशिक :-अभी आपका नहीं आया है।

श्री शैलेश पाण्डे :- आप कितना असत्य बोलेंगे ? आपको बोलते-बोलते एक घण्टा तो हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का क्या हुआ? आपके शहरी आवास में करोड़ों का लेन-देन हो गया। फर्जी पत्र चला जाता है, फर्जी इनका जारी हो जाता है और वह जारी होने के बाद में उसमें हम यह बोलें कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम से फर्जी जारी हो गया। माननीय मंत्री जी, उसका सत्यापन तो करवा लीजिए। आपके ही विभाग का है। जो पात्र हैं वह वंचित हो गये और जो अपात्र हैं उनको फर्जी जारी करके मकान के आवंटन की प्रक्रिया हो गई, उसमें करोड़ों का लेनदेन हो गया और लेनदेन होने के बाद में अभी तक उसमें कार्यवाही नहीं हो रही है। यह स्थिति है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेल्डर। लगभग 39 हजार आवेदन लंबित हैं। जो उनको केवल 10 हजार रूपये मात्र मिलना है। एक तरफ रोजगार देने की बात होती है प्रधानमंत्री जी ने 10 हजार रूपये की योजना बना दी। उस 10 हजार रूपये की योजना का जो लाभ उनको मिलना चाहिए, वह 10 हजार रूपये योजना के लाभ से भी वह वंचित हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी का क्या है पूरा पैसे का शुद्ध रूप से दुरूपयोग हो रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर केन्द्र से जो राशि मिली, आज उसका बंदर बांट हो रहा है। अवैध प्लाटिंग का पूरा रायपुर से लेकर बिलासपुर अब पूरे प्रदेश में अवैध प्लाटिंग चल रहा है और संरक्षण में चल रहा है और संरक्षण में चलकर, जिस प्रकार से वहां पर जमीन का बंदरबांट हो रहा है। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। श्रम विभाग के द्वारा जब डॉ. साहब मुख्यमंत्री थे तो कहीं पर सायकल, उपकरण, घमेला, रापा वितरण किया जाता था। आज यह सारी योजनाएं बंद हो गई हैं। मैंने एक भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

योजना में नहीं सुना कि उसका कहां क्रियान्वयन हो रहा है। उनकी सारी की सारी योजनाएं बंद हैं। जिस प्रकार से खासकर गरीबों को जिन योजनाओं का लाभ मिलना है क्योंकि इस योजना से किसी बड़े आदमी को लाभ नहीं मिलना है, गरीबों को लाभ मिलना है, लेकिन यह योजना भी आज इनकी बंद हो चुकी हैं। साल का अंतिम दिन, शादी का भी सीजन नहीं है। 25 अप्रैल के बाद में शादी का लगन है साल भर तक चुप बैठे रहे और अभी जब कोई लगन नहीं है तब आनन-फानन में शादी कर रहे हैं। जैसे ही बजट पारित हुआ धीरे-धीरे, आपको भीड़ नहीं जोड़ना है। बड़े आराम के साथ में उनके परिवार वालों को पैसा पहुंचवा देते। उन लोगों को लाभ मिल जाता। अभी आनन-फानन में जो खर्च हो रहा है और कुल मिलाकर जो बताते हैं कि हमने 25000 रूपये दिया तो 25000 आखिर, कितने लोगों को लाभ मिला? आप लोगों ने कितने लोगों की सामुहिक विवाह कराई है?

श्री शैलेश पाण्डे :- 3000 लोगों का सामुहिक विवाह हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो देखता था आप 3000 लोगों का सामुहिक विवाह कराये हो, हम लोग तो 2100-3100 लोगों का सामुहिक विवाह कराते थे।

श्री शैलेश पाण्डे :- जितना आवेदन आएंगे उतना तो सामुहिक विवाह होगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह आपके साल की उपलब्धि है। वह सब लोगों को मालूम है कि आपकी सरकार में कुछ नहीं मिलने वाला है।

श्री शैलेश पाण्डे :- 3000 आवेदन आएं हैं और 3000 लोगों का सामुहिक विवाह हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष के भाषण में कितनी बार इंटरप्शन हुआ है, उसको आप इनसे गिनवाईये। दूसरा लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण में 10 बार इंटरप्शन हुआ और 11 वें बार में बहिर्गमन हुआ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बहुत उदार हैं। माननीय सदस्यों को अवसर देते हैं तब वह बोलते हैं। आपकी तरह थोड़ी हैं। आप तो खड़े रहते हैं तो वह बैठते भी नहीं हैं। आप दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बिलासपुर के हैं इसलिए उनके प्रति ज्यादा प्रेम है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैनपाट में एक घटना घटी, उस बच्ची के घर में घुस गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सिंहदेव साहब की उपस्थिति में किसी दूसरे के प्रति प्रेम जाहिर मत करिएगा। समझे।

श्री शिवरतन शर्मा :- न घर के रहोगे, न घाट के। एक ही तरफ रहो, जहां रहना है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, "हाथ कंगन को आरसी क्या" ? नेता प्रतिपक्ष के भाषण में इंटरप्ट कौन कर रहा है ?

श्री शैलेश पाण्डे :- हमारा एक ही घर है दो घर नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी बैठे ही नहीं हैं। अजय जी और शिवरतन जी खड़े हो गये हैं। नेता प्रतिपक्ष के भाषण में इंटरप्ट कौन कर रहा है ? ये उनके पूरे भाषण के लय को बिगाड़ने का काम ये दोनों कर रहे हैं। इनको प्रताड़ित करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैनपाट में जो घटना घटी। उस घटना में जो अनाचार का प्रयास किया गया। आज वह लगातार घूम रही है थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। अभी उत्तरप्रदेश में प्रियंका गांधी जी एक जगह भाषण दे रही थी, राजस्थान से आ करके जिनके साथ घटनी घटी है, उन्होंने जब भाषण के बीच में अपनी बात को रखने का प्रयास किया तो प्रियंका गांधी उनके पास गई और उनसे जाकर कहा कि हम गहलोत जी से बात करेंगे। क्या मैनपाट में भी प्रियंका गांधी जी को आना पड़ेगा ? यह सरकार जिस प्रकार से चल रही है, जिस प्रकार से घटनी घटी, उसके थाने में जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, यह गंभीर बात है।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहां की कहां की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी की बात कर रहे हैं, यहां की बात करनी चाहिए, क्या हम लोग मोदी जी की बात चालू करें? इनके भाषण में हम लोग मोदी जी की बात चालू कर देंगे, प्रियंका गांधी जी का नाम ले रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.एस.सी. का क्या हालचाल है? आजकल पी.एस.सी. समाचार की सुर्खियों में बना हुआ है। हम लोग भी 15 साल सरकार में रहे हैं। कभी पी.एस.सी. सुर्खियों में नहीं रहा। आज जो अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दिये हैं और परीक्षा नहीं देने के बाद में उनका नाम सलेक्ट हो जाता है और उनका इंटरव्यू काल आ जाता है। वह सामने बैठा हुआ विद्यार्थी बोल रहा है कि यह परीक्षा नहीं दिया है, अनुपस्थित रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय जो पी.एस.सी. में खेल खेला गया, अध्यक्ष और सदस्यों की क्या स्थिति रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी उस समय मंत्री रहे हैं और वह खेल शुरू हो गया है। कम से कम यहां के जो नवयुवक हैं, उनके साथ में अन्याय न करें। इतनी चिंता तो आपको करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में आने के बाद जो कांग्रेस को सबसे बडा नुकसान हुआ है, यहां पर माफियाओं का बोलबाला चल रहा है। कहीं पर एस.डी.एम., तहसीलदार, कहीं जनप्रतिनिधि प्रताड़ित हो रहे हैं। जिस प्रकार से उनकी पिटाई हो रही है। आज नदियों की धारा बदल रही है। यह सरकार आज उन माफियाओं को दबाने की स्थिति में नहीं है। जिस प्रकार से माफियाओं का बोलबाला चल रहा है, चाहे रेत माफिया, शराब माफिया की बात हो, मैंने कहा कि यह प्रदेश शराब की मंडी बन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गया है। यहां पर उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा से शराब आ रही है। शराब का छत्तीसगढ़ हब बन गया है तो इस सरकार के आने में शराब की मंडी बना दिये हैं। व्ही.आई.पी. रोड की स्थिति का अवलोकन हुआ है। इसलिए मैं उस विषय में बोलना नहीं चाहता। जिस प्रकार से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने असत्य कथन कराया है, इसलिए मैं उनका विरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी आवाज दो साल में ही धीरे हो गई है, आवाजे बुलंद पढ़ी जाये।

श्री भूपेश बघेल :- जो हुकूम, गुरू का आदेश हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मेरा एक निवेदन है, उनके आदेश को मान रहे हैं तो मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। हमारे माननीय टी.एस.सिहंदेव साहब लज्जाजनक क्यों हैं, यह पहले स्पष्ट कर दें। यह बड़ी चिंता का विषय है कि जिनने जनघोषणा पत्र बनाया, वह लज्जाजनक महसूस कर रहे हैं तो इसका कारण बता दें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शैलेश पांडे जी ने जो कृतज्ञता प्रस्ताव रखा, उस पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। माननीय शैलेश पांडे जी, मोहन मरकाम जी, संतराम नेताम जी, बृहस्पत सिंह जी, विनय कुमार भगत जी, डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, किस्मतलाल नंद जी, राजमन बेंजाम जी, रामकुमार यादव जी, अरूण वोरा जी, श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी, नारायण चंदेल जी, शिवरतन शर्मा जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, पुन्नूलाल मोहले जी, रजनीश कुमार सिंह जी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी, अजय चन्द्राकर जी, डॉ. रमन सिंह जी, धर्मजीत सिंह जी, देवव्रत सिंह जी, प्रमोद कुमार शर्मा जी, केशव प्रसाद चन्द्रा जी, श्रीमती इन्दु बंजारे जी और धरमलाल कौशिक जी ने अपने विचार व्यक्त किये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है और इसीलिए शुरूआत से ही प्रदेश में धान खरीदी को लेकर ऐसा कोई सत्र नहीं हुआ जिसमें चर्चा न हुई हो और लगातार चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, सबने अपने-अपने स्तर पर धान खरीदी की व्यवस्था की शुरूआत की ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्र भी शुरू हुआ है तब से लगातार धान खरीदी, मीलिंग, धान का उठाव इत्यादि अनेक प्रश्न आये । हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, कल भी जब माननीय सदस्यों ने प्रश्नकाल के माध्यम से यह सवाल उठाया तब भी यदि सदस्य असंतुष्ट हैं तो हमने आधे घंटे की चर्चा स्वीकार की इसलिए कि इसमें कोई छिपाना नहीं चाहिए, किसानों का मामला है, प्रदेश के हित का मामला है, अन्नदाता का मामला है, अन्न का मामला है और इसलिए हम लोगों ने यह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

स्वीकार किया कि आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए ताकि सारी बात आ जाए । इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि जो किसानों के उपज को समर्थन मूल्य में खरीदने की बात इस सदन में कर रहे हैं, उस दल के लोग दिल्ली में बैठे हैं और आज 3 महीने से ऊपर हो गया, किसान मांग कर रहे हैं कि हमारा जो अनाज है इसे समर्थन मूल्य में खरीदा जाये । 200 से अधिक किसानों की मौतें हो गईं, उन्होंने आत्महत्या कर ली लेकिन उसके बारे में न तो केंद्र सरकार ने और न ही इनकी पार्टी के लोगों ने कोई ध्यान दिया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कानून बने हैं उसको सही ठहराने में सारे विपक्ष के साथी लगे हुए हैं कि यह तीन कानून है, यह किसानों के हित में है । जबकि किसान चाहते ही नहीं हैं, मुझे यह कानून नहीं चाहिए लेकिन जबर्दस्ती थोपा जा रहा है और यहां कोशिश की जा रही है कि इस कानून में काला क्या है तो जो चीज नहीं चाहते तो उसको थोपने की जरूरत क्या है और काला क्या है इसके बारे में चर्चा हो सकती है । बीते 2 सालों में हमने किसानों के हक में जो फैसला किया और अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह भी रहे थे कि कभी 2500 रूपए नहीं मिले । हमने 2500 रूपए दिये, पहले साल ही दिया, ऋण माफी भी किया और तत्काल भुगतान भी किया । (मेजों की थपथपाहट) लेकिन आपकी सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार, उन्होंने कहा कि आप बोनस देंगे तो आपका चावल नहीं लेंगे और इस मामले में अनेक बार पत्राचार हुआ, मुझे पत्रजीवी कहा गया तो मैं निश्चित रूप से नेता जी को कहना चाहूंगा कि चाहे छत्तीसगढ़ के हितों के मामले होंगे, छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासियों, नौजवान, महिलाओं अथवा अनुसूचित जाति के लोगों के मामले हों यदि कहीं छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हो तो एक-बार नहीं हजार बार पत्र लिखेंगे । (मेजों की थपथपाहट) आप पत्रजीवी कहिए या कुछ भी कहिए । लेकिन हम अपने लोगों को अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे । कल भी सारे किसानों का ऋण माफ करने के लिये प्रश्न आ रहा था तो आप अभिभाषण में चर्चा करें तो समझ में आता है, अनुदान मांग में चर्चा करें तो समझ में आता है लेकिन प्रश्नकाल तक में जनघोषणा पत्र की बात तो बहुत पीड़ा हो रही है कि जनघोषणा पत्र का एक-एक रट्टा मार लिये हैं और जब चाहे तब सोते-जागते, उठते-बैठते सब जन घोषणा पत्र क्योंकि इनको पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही है । इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि 15 साल हम शासन करते रहे और कैसे 15 सीटों पर सिमट गए । इसका न तो वे जवाब दे पा रहे हैं और न वे स्वयं समझ पा रहे हैं, इनके पैरों के तले से जमीन कब खिसक गई, इसका आभास तक नहीं था और ये धड़ाम से गिरे और 15 सालों तक शासन करने वाले 15 सीटों पर सिमट गए । यह स्थिति है । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- आपके जनघोषणा पत्र की चर्चा इसलिए होती है कि उसको आपने सरकारी बनाया, जब आपने पहला गवर्नर एड्रेस दिया तो भूमिका के बाद पहले पैरा में है कि जन घोषणा पत्र को हमने आत्मसात किया तो यदि गवर्नर एड्रेस में आ गया तो वह सरकारी डाक्यूमेंट हो गया और हो गया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो वह राजनीतिक दस्तावेज नहीं रहा और उसमें चर्चा होगी ही और जिसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं ।

समय :
1:00 बजे

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका जन घोषणा पत्र हम लोगों ने याद किया है । आपको प्रसन्न होना चाहिए, ये लोग भूल गए हैं लेकिन हम लोगों ने याद रखा है ।

श्री अमरजीत भगत :- कभी-कभी मोदी जी के घोषणा पत्र को भी पढ़ लिया करो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहन मरकाम जी से पूछो 2003, 2008, 2013 और 2018 भारतीय जनता पार्टी का चार साल का घोषणा पर उनको मुखाग्र याद है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने कहा था आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे । आदिवासियों को नौकरी देंगे, 500 रूपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे, किया क्या ?

श्री अमितेश शुक्ल :- आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था किसानों को 2100 रूपए समर्थन मूल्य देंगे, आपने दिया क्या ? 2500 रूपया समर्थन मूल्य हमने दिया। किसानों के हितैषी हम हैं, आप नहीं हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित जी, आप जर्सी गाय से ज्यादा चिक्कन हो ।

श्री अमितेश शुक्ल :- आप इधर-उधर की बात मत करो, किसानों की बात करो । आपने समर्थन मूल्य दिया क्या ? हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने दिया ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय मुख्यमंत्री जी, हम घोषणा पत्र का उल्लेख इसलिए करते हैं कि घोषणा पत्र के कारण ही तो आपकी सरकार आई । आपने कहा हम धड़ाम से गिरे, हम गिरे नहीं, वह एक्सीडेंट था, आपकी सरकार एक्सीडेंट सरकार है । घोषणापत्र जाहिर नहीं करते तो हम लोग इधर नहीं आते ।

श्री भूपेश बघेल :- चौबे जी के मामा जी, आपको समझ नहीं आएगा । यदि घोषणा पत्र से ही सरकार बनती-बिगड़ती तो जोगी जी ने तो 3000 क्विंटल की घोषणा की थी, धर्मजीत जी से पूछ लीजिए । उन्होंने तो चांदी की सड़क बनाने की बात की थी ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- चांदी की सड़क ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह 2500 रूपए क्विंटल था, जिसे आपने स्वीकार किया। बिना राजीव न्याय योजना के डायरेक्ट 2500 रूपए क्विंटल ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सिटी कोतवाली की जगह सड़क बनाएंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कम से कम आप तो जोगी जी के बारे में मत बोलो । इतना भी मत करो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- जोगी जी तो बहुत दूर की बात है, वे अमित जी को लेने एयरपोर्ट जाते थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- कम से कम आपको तो नहीं बोलना चाहिए ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को सुविधा हो इसलिए हम लोगों ने 363 नये उपार्जन केन्द्र बनाएं (मेजो की थपथपाहट) । इस साल पहली बार हुआ है कि भीड़ नहीं हुई । 2300 से अधिक धान खरीदी केन्द्र थे, कहीं भी भीड़ नहीं हुई । हर जिले के संग्रहण केन्द्र में मैं गया हूं, जब धान खरीदी हो रही थी तो वहां कोई भीड़ नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं । बारदाने की कमी के बावजूद भी सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होता रहा । अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब भारत सरकार ने 60 लाख मेट्रिक टन चावल एफ.सी.आई. में जमा करने की सहमति दी तो माननीय रमन सिंह जी ने ट्वीट किया कि भूपेश बघेल को केन्द्र सरकार को धन्यवाद् देना चाहिए । डॉक्टर साहब, याद कीजिए, आपने ट्वीट किया था और मीडिया में भी आया था । मैंने कहा था कि मैं धन्यवाद् दूंगा जिस दिन पूरा 60 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जित कर एफ.सी.आई. में जमा कर लेंगे । आज मैं रमन सिंह जी और पूरे विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि आज क्यों 24 लाख मेट्रिक टन लेने सहमति हुई है, अगर 60 लाख टन की सहमति मिली है तो अनुमति भी दिलाना चाहिए । यदि आप पूरे 60 लाख मेट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति दिलाएंगे तो निश्चित रूप से पूरा सदन केन्द्र सरकार का धन्यवाद् करेगा (मेजो की थपथपाहट) ।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा । माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले समय भी प्रधानमंत्री जी ने यहां के पूल से जितना चावल लेना था उसकी ही अनुमति दी थी । हमारे समय में हमने भी दूसरे माध्यम से किया । हमने धान को उसना चावल के नाम से दिया । मेरा कहना यह है कि उस समय हमारी सरकार में भी ऐसा था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, इन्हें पिछली बार जो अनुमति मिली उसे ही पूरा नहीं कर पाए, 2 लाख मेट्रिक टन पिछली बार का जमा नहीं कर पाए ।

श्री भूपेश बघेल :- मुझे पूरी जानकारी है। अगर आसंदी आधे घंटे की चर्चा की व्यवस्था कर दे तो मैं समझता हूं कि मैं उसमें उत्तर दे दूंगा। माननीय मंत्री जी दे देंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप चाहें तो मुझे पूरी जानकारी है और मैं पूरी जानकारी दे सकता हूं, लेकिन मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति क्या है? जब रविन्द्र चौबे जी नेता प्रतिपक्ष थे तो लगातार इस सदन में कहते थे कि कृषि जोत घट रही है। यह अन्नदाताओं का प्रदेश है। लगातार कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण खत्म होते जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपके समय में वर्ष 2015-16 में 13 लाख 17 हजार 583 किसान पंजीकृत थे। 21 लाख 26 हजार 92.18 हेक्टेयर रकबा था। बेचे गये रकबा 16 लाख और किसान जो बेचने वालों की संख्या है 11 लाख। कहां

पंजीकृत किये 13 लाख और बेचने वाले किसानों की संख्या 11 लाख और अध्यक्ष महोदय, यह प्रतिशत कितना है ? 83.9 मतलब 16.1 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा ही नहीं। यह आपकी व्यवस्था है। वर्ष 2016-17 में साढ़े 14 लाख किसानों ने पंजीकृत किया और बेचा कितना 13 लाख 27 हजार। साढ़े 8 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा ही नहीं। वर्ष 2017-18 में 15 लाख 77 हजार किसानों ने पंजीकृत किया और 12 लाख किसानों ने धान बेचा, मतलब 23.6 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा ही नहीं और आज स्थिति यह है कि 21 लाख 52 हजार 475 किसानों ने पंजीकृत किया और 20 लाख 53 हजार 483 किसानों ने धान बेचा। इसका मतलब यह है कि 95. 38 प्रतिशत किसानों ने बेचा। (मेजों की थपथपाहट) और जब हम वर्ष 2015-16 की बात करें तो आज ये आंकड़े हो जाते हैं। आपके 24 लाख 86 हजार, कहां 16 लाख हेक्टेयर में किसानों ने धान बेचा और आज है 24 लाख 86 हजार 665 हेक्टेयर में किसानों ने उत्पादन किया और धान बेचा। ये आंकड़े हैं। कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और 92 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा। 60 लाख मीट्रिक टन चावल आप जमा कर लीजिए, निश्चित रूप से हमें बाहर बेचने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि धान क्यों बेचा जा रहा है? चावल क्यों बेचा जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, ये उपार्जन केन्द्र सरकार के लिए किया जाता है। वह सेन्ट्रल पूल में भी रखती है और स्टेट पूल में भी देती है। जहां देश में कमी होती है, वहां भेजा जाता है, लेकिन आपका प्रबंधन इतना खराब हो चुका है। एक समय था जब देश में अनाज की कमी थी। इंदिरा जी के आह्वान पर हरित क्रांति हुई और देश के किसानों ने उस चुनौती को स्वीकार किया। अनाज के मामले में देश स्वावलंबी हुआ और आज जब आधिक्य हो गया तो आप उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उसका खामियाजा देश के किसान भुगत रहे हैं। इसका कोई दोषी है तो आपकी सरकार है। (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार में बोनस दिया जाता था। आप बोनस भी बंद कर दिये। अब धान भी मत खरीदो। आप धान क्यों खरीदते हैं? इस प्रकार की बात? ये देश और प्रदेश अन्नदाताओं का देश और प्रदेश है और उसके साथ छल किया जा रहा है, उसे धोखा दिया जा रहा है। अन्न का अपमान कर रहे हैं। अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं। आपकी यही स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन अधिकार पट्टा और वनोपज वितरण, संग्रहण। इनके शासनकाल में ढाई हजार रूपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदते थे। हमारी सरकार आयी और 4000 का वादा हमने पूरा किया और 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीद रहे हैं। इनके शासनकाल में केवल 7 वस्तुओं की खरीदी होती थी। हमने बढ़ाकर 52 कर दिया और उतना ही नहीं बल्कि वैल्यू एडीशन भी कर रहे हैं ताकि वहां के जंगलों में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन अधिकार पट्टा यह अधिमान्यता पत्रक यू.पी.ए. सरकार में बनी, लेकिन इन्होंने तो कहा था कि अब कोई सारे प्रकरण है, निराकरण हो गये हैं। किसी को अब देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। सरकार की तरफ से कोई बात नहीं रखी गयी । हम लोगों ने फिर से अपनी बात रखी । 13 दिसम्बर, 2005 के पहले से भी जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आदिवासी काबिज हैं, उनको हटाने की बात हो रही थी । उसके विरूद्ध में फिर से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया और उसके बाद हमने कहा कि हमारे यहां प्रकरण पूरा निराकृत नहीं हुआ है, उसको फिर से रि-ओपन किया, जितने भी आवेदन आये थे, जिसको निरस्त कर दिया गया था, हम उसका परीक्षण कर रहे हैं । मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने 4,33,000 व्यक्तिगत दावे पूरे कर लिये । इनके समय में सामुदायिक दावा केवल धरसा और आंगनबाड़ी के जो थे, वह मरघट, इसको ही सामुदायिक दावा के तहत माना जाता था और उसमें भी हम लोगों ने हमारे शासनकाल में 41,016 प्रकरण पारित किया । जो कुल आवंटित हुए हैं, उसमें व्यक्तिगत प्रकरणों में 9,03,520 एकड़ व्यक्तिगत हितग्राहियों को मिला है और सामुदायिक प्रकरण में 37 लाख, 870 एकड़ भूमि हमने उन ग्रामीणों को दिया है । कुल मिलाकर हमने 46,04,399 एकड़ दिया है । वे वनांचल में रहने वाले चाहे आदिवासी हों या परम्परागत निवासी हों, उनको हमने अधिकार दिया है । छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है, जिसने 46 लाख हेक्टेयर जमीन आवंटित की है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप औद्योगिक विकास में एम.ओ.यू. खूब करते थे, रोड़ शो होते थे, इन्वेस्टरमीट किया जाता था । एम.ओ.यू. करने के लिए विदेश जाते थे, लेकिन कुछ नहीं आया । हमने 2019 में औद्योगिक नीति बनाई । मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बीते दो सालों में 1249 नये उद्योग स्थापित हुए, 16,986 करोड़ के पूंजीनिवेश हुए और उद्योगों के जरिए 22,000 लोगों को रोजगार भी मिला । हमारी नीति से प्रभावित होकर मेगा औद्योगिक परियोजना के तहत राज्य में उद्योग स्थापना के लिए 104 नये एम.ओ.यू. हुए । एथनॉल, चिकित्सा, रक्षा, स्टील सेक्टर, वनांचल क्षेत्रों में प्रमुखता से उद्योग लगाए जाएंगे और 42,417 करोड़ रूपए के पूंजी निवेश करके 65 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा । (मेजों की थपथपाहट) हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी । हमको छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों पर विश्वास था। प्रधानमंत्री जी तो पूरी दुनिया घूम आये, लेकिन एक भी इंवेस्टर नहीं आया । दो उद्योगपतियों को छोड़कर देश के उद्योगपतियों पर भी विश्वास नहीं हुआ । हमने अपने उद्योगपतियों पर, यहीं के व्यवसायियों पर विश्वास किया और 104 एम.ओ.यू. हुए और 42,417 करोड़ के निवेश होंगे । इनकी सोच और हमारी सोच में यह अंतर है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 200 नये फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा है । इसके विरूद्ध हमने 111 फूड पार्क की स्थापना के लिए जमीन चिह्नांकित कर ली है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सिंचाई के बारे में नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे । बीते दो सालों में राज्य में जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन और वास्तविक सिंचाई के लिए हमने काम किया है । वास्तविक सिंचाई कितनी थी ? 9,68,000 हेक्टेयर थी, उसे बढ़ाकर हमने 13 लाख हेक्टेयर कर दिया । 2004 से लेकर 2018 तक 2004 में जो निर्मित सिंचाई क्षमता थी, वह 15,81,000 हेक्टेयर और 2018 में निर्मित सिंचाई क्षमता 20,88,000 हेक्टेयर थी, लेकिन वास्तविक सिंचाई क्षमता कितनी होती थी ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2004 में भी 10,22,000 हेक्टेयर और 2018 में 10,38,000 थी और खर्च कितना किया ? 18 हजार करोड़ रूपए खर्च करने के बाद भी आपने वास्तविक सिंचाई क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की । ट्यूब वेल तो किसानों ने अपनी मेहनत से लगाया है, लेकिन आपने सरकार में बैठकर क्या किया ? 15 साल में एक भी कोई बड़ा बांध आपने बनाया ? कांग्रेस के शासनकाल में बना है चाहे वह गंगरेल की बात हो, चाहे वह हसदेव बांगों के बांध की बात हो, वह चाहे बिसाहू दास महंत जी के सहयोग से हुआ हो, चाहे श्यामाचरण शुक्ल जी के माध्यम से हुआ हो । ये सारी योजनाएं उस समय की है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था के बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको जो बताया, वह आपके ही विधान सभा के प्रश्न का उत्तर है, मैंने अपने मन से उसको नहीं बताया । आपने जो कहा कि एक भी बड़े बांध नहीं बनाया । 1904 में अरपा-भैंसाझार के बांध का सर्वे हुआ था । 67 हजार एकड़ की सिंचाई होगी। जब डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उसको हमने कोटा में बनाया था, मंत्री जी को मालूम है, केनाल का काम पूरा नहीं हुआ है। आज उसमें सिंचाई शुरू हो गयी है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन आप आगे बढ़िये।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अरपा भैंसाझार के बारे में कहेंगे...।

संसदीय सचिव, डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह (महिला एवं बाल विकास से सम्बद्ध) :- अरपा भैंसाझार पांचवीं पंचवर्षीय में आया था, श्यामचरण शुक्ल मुख्यमंत्री जी थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप लोग असत्य कथन मत करें। बीरेन्द्र कुमार सक्लेजा जी मुख्यमंत्री थे। मनहरण लाल पांडे जी सिंचाई मंत्री थे, तब से शिलान्यास हुआ है।

डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह :- श्यामाचरण शुक्ल जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना प्रस्तावित थी। शिलान्यास बाद में हुआ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप असत्य कथन मत करो, उसका दिखवा लो। आप लोगों की असत्य कथन करने की आदत है उसको दिखवा लो।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग नामकरण करने में बहुत माहिर हैं। अभी मोदी जी के नाम से स्टेडियम को कर लिया।

श्री भूपेश बघेल :- सरकार पटेल भी गये। गांधी जी के पहले।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग उसमें माहिर हो।

श्री भूपेश बघेल :- अब उसके बाद सरदार पटेल भी। (हंसी) और मुझे तो लगता है कि जो statue of unity बना है, मास्क वगैर: तो नहीं लग जायेगा। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, अमरजीत भगत कहें तो चलेगा आप कहें तो नहीं चलेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- उस पूरे परिसर का नाम अभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है। उस परिसर के एक क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेन्द्र मोदी के नाम पर रखा गया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- काबर बदले गिस। बदलना नई रिहिस ना। पूरा सरदार पटेल करना रिहिस। सरदार पटेल जी का अपमान है1

श्री अजय चंद्राकर :- इसलिए उनका चलता है, आप कहें तो नहीं चलता।

श्री भूपेश बघेल :- चलिये, धन्यवाद। आपने जो सुझाव दिया, मैं उसको मान लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी। अरपा भैंसाझार के बारे में एक लाईन में बोल देता हूं। जो वृहत सिंचाई योजना बन सकती थी, उसको आपने मध्यम श्रेणी बना दिया। हाथी को आपने भैंसा बना दिया। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह कांग्रेस के कारण हुआ है। मैं उस समय नाम नहीं लेना चाहता। जिस समय उनका शिलान्यास हुआ और सरकार में जाने के बाद वे सारे कालोनी तहस नहस हो गये, आपकी सरकार आने के बाद उस योजना को बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद उसको शुरू किये हैं और शुरू करने के बाद आज उसमें लोगों को पानी मिलेगा। 92 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, बार-बार कानून व्यवस्था के बारे में कह रहे हैं, बहुत बात हुई, चर्चा करते हैं। आपको बाहर भी जाना है, जो चीज नहीं है, कानून व्यवस्था तो यहां है ही नहीं, उसके बारे में क्या चर्चा करेंगे। (हंसी) । आगे बढ़िये, चलिये जल्दी दिल्ली जाईये। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- आप जो बोले हो ना, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। अभी आता हूं। मैं बताऊंगा, कांग्रेस के कारण हुआ कि किसके कारण हुआ । अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। प्रदेश में इन दो सालों में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। इस प्रदेश में कानून का राज है। आज जितना उल्लेख कर रहे हैं, पकड़ने का काम, रोकने का काम किया है। हमारे पुलिस के अधिकारियों ने नौजवानों ने किया है। (मेजों की थपथपाहट) हरियाणा से चलकर आ रहा है तो बीच में क्या मध्यप्रदेश नहीं पड़ता। यू.पी. से शराब की ट्रकें आ रही हैं, क्या मध्यप्रदेश बीच में नहीं पड़ता, अरूणाचल प्रदेश से आ रहा है, बीच में आपके शासित राज्य नहीं पड़ते ? मध्यप्रदेश में किसका राज है ? इसका मतलब यह है कि अवैध काम सब वहां हो रहे हैं और पकड़ने का काम छत्तीसगढ की पुलिस कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) वहां अवैध निकासी हो रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, सब यहीं बन रही है। खाली लेवल थपक रहा है। सब छत्तीसगढ़ में बन रहा है। आप भी जानते हैं कि कहां बन रहा है ?

श्री भूपेश बघेल :- कवर्धा के ट्रक पकड़े गये। शर्मा जी, सुनो तो।

श्री शिवरतन शर्मा :- खाली लेबल लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- शर्मा जी, मैं बैठा नहीं हूं। आप बैठिये। आपको मौका नहीं दिया है। लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं जवाब दे देता हूं। हरियाणा के नंबर प्लेट से ट्रक पकड़ी गयी। वे भी लेबल नहीं लगाये हैं। ट्रक में मध्यप्रदेश का नंबर आया है। वह नंबर प्लेट छत्तीसगढ़ में नहीं लगाया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी, कुछ भी बोलते हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, मैं फैक्ट बोल रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- गाड़ी वहां से उड़कर आया क्या ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप लोगों को पहले का अनुभव है।

श्री रामकुमार यादव :- जिंदा ला मुर्दा बना देथव।

श्री भूपेश बघेल :- सुनिये तो। अभी तो हमारे शासनकाल में सब बोल रहे हैं लेकिन ...।

श्री सौरभ सिंह :- बेमेतरा में फार्म हाउस भी बन रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- सौरभ जी, थोड़ा सा शांत हो जाईये। आपकी तो कोई बात नहीं है। आपके बारे में कोई उदाहरण भी नहीं दूंगा। इनके शासनकाल में गृह विभाग में स्थिति यह थी कि विधायकों को तो छोड़ दीजिये, अधिकारियों को छोड़ दीजिये, मंत्री तक और मुख्यमंत्री तक एक आदमी से डरता था। आपके शासनकाल में एक आदमी शासन संचालित करता था, जिसको हमने निलंबित कर दिया। वही चलाता था और षड़यंत्र भी वही करता था। वही फंसाता था, बचाने का काम भी वही करता था। यह आपके शासनकाल में होता था। आप कानून व्यवस्था के बारे में क्या बात करेंगे ? वहां कानून का राज ही कहां था ? एक व्यक्ति जो बोल दे, वही होता था, यह स्थिति थी। मैं उसमें बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मैं सदन में चर्चा कर रहा था, धर्मजीत भैय्या, जहां आप बैठे हैं, वहीं मैं बैठा था। मैं 45 मिनट भाषण दिया था। जब मैं निकला तो सत्ता पक्ष के जितने मंत्री हैं, केवल 1-2 को छोड़कर सारे मंत्री बोले बहुत अच्छा भाषण दिए, 45 मिनट ही क्यों बोले और ज्यादा बोलना था, ये बाहर जाकर मुझे बोले थे। मुझे याद है कितनी दहशत थी, कितनी पीड़ा थी, कोई बोल नहीं पाता था। यहां अकबर जी बैठे हैं, एक सवाल में मंत्री जी जवाब नहीं दे पायें क्योंकि उनके पास फाइल ही नहीं था। 7 दिन तक विधानसभा नहीं चला। आखिरी में मंत्री जी को बोलना पड़ा कि भाई, उस अधिकारी के पास फाइल पड़ा है, आलमारी में बंद है, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। यह आपके शासनकाल में शासन चलता था। आप क्या बात करेंगे ? यहां कानून का राज है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं। अपराध घटित होते हैं लेकिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं। नक्सली घटनाएं कम हुई है। उसका परिणाम क्या हुआ ? हम स्वास्थ्य, सुपोषण, शिक्षा, अन्य योजनाएं वहां तक पहुंच रही है। जो स्कूलें 13-13 साल से बंद थीं, वह स्कूल अब आबाद होकर संचालित होने लगी है। स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो गई हैं। मलेरिया मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। लोगों का विश्वास बढ़ा है। आम जनता का विश्वास सरकार पर और कानून व्यवस्था पर हुई है। यही कारण है कि बेहतर स्थिति होने के कारण टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इण्डिया जस्टिस रिपोर्ट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

2020 में की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर आया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में कोरोना काल के बाद भी हम लोगों ने कार्यक्रम संचालित किया। नीति आयोग ने भी उसको सराहा है और प्रधानमत्री ने भी उसकी सराहना की है। 52 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरूआत की है।

अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत जी अभिभाषण पर बात कर रहे थे, शैलेश जी ने जो कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव रखा था, उसके खिलाफ में बोलने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन वह जो बोले, वह सब प्रशंसा में बोले। बिलासपुर एयरपोर्ट शुरू किए। बिलकुल, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह आपका अशासकीय संकल्प था। आपने इस बात को खुले मन से स्वीकार किया। हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, जो इस सदन में हुआ। अशासकीय संकल्प में 27 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान हुई और आगामी 1 मार्च को वहां नई उड़ान शुरू होगी। हम तो बोलकर आये हैं कि वहां कामर्शियल उड़ान शुरू कीजिये। हमको "उड़ान योजना" की जरूरत नहीं है। बिलासपुर में कामर्शियल उड़ान शुरू कर दीजिये। छत्तीसगढ़ में जितनी भी फ्लाइट है, वह सब फुल जा रहे हैं वहां बिलासपुर की भी फ्लाइट फुल जायेगी, आप वहां कामर्शियल शुरू कीजये। हमने "उड़ान" नहीं मांगा। यदि "उड़ान" करना है तो छः सौ किलोमीटर का क्यों करते हैं, एक हजार किलोमीटर का करिये। यदि एक हजार किलोमीटर का "उड़ान" करेंगे तो उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ छोटा-मोट राज्य नहीं है। भौगोलिक दृष्टिकोण से कहेंगे तो छत्तीसगढ़ देश का बड़ा राज्य है। इसलिए "उड़ान" की दूरी छः सौ किलोमीटर निर्धारित किया है, इसके लिए मंत्री जी से कहा कि छः सौ किलोमीटर को बढ़ाकर एक हजार किलोमीटर कीजिये। आप बिलासपुर में कामर्शियल फ्लाइट दीजिये। बिलासपुर एरिया बहुत बड़ा इलाका है। वहां एस.ई.सी.एल. है, बाल्को है, रायगढ़ का इण्डस्ट्रियल एरिया है, अम्बिकापुर का पूरा क्षेत्र है। वहां से स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार-व्यवसाय के लिए लोग आयेंगे, जायेंगे। वहां हमारा हाईकोर्ट है, वहां वकील लोग आते-जाते हैं। इसलिए यदि कामर्शियल फ्लाइट शुरू करेंगे तो वह भी भरपूर चलेगा। हमने दो सौ एकड़ जमीन के लिए राजनाथ सिंह जी को पत्र लिखा कि या तो उस जमीन का उपयोग कर लीजिये या हमको वापस करिये ताकि लैण्ड बढ़ाने का काम कर सके, ताकि वहां बड़े बोइंग भी उतर सके, यह हमारी कोशिश है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋण के मामले में बात हुई थी। मैंने परसों आकड़ें दिए थे। 17 दिसम्बर, 2018 से 30 जनवरी, 2021 तक जो ऋण लिया गया है, वह 36,170 करोड़ रूपये हैं। लेकिन हमने उसमें 5,853 करोड़ का भुगतान भी किया है। नेता जी कह रहे थे कि आपने शिक्षाकर्मियों का नियमितीकरण किया। हुजूर आपने किया जरूर है, आदेश भर कर दिया था पैसा तो हमने प्रथम सप्लीमेंट्री में 1900 करोड़ रूपये दिया। आपने तो पैसा भी नहीं दिया था। मोबाईल आपने बांटा, मोबाईल बांटने में नाम तो आपका चला और पैसा आज तक हम लोग जमा कर रहे हैं। विज्ञापन आप छपवा रहे हैं पेमेंट आज तक हम लोग कर रहे हैं। ये तो स्थिति है। हमने 5800 करोड़ रूपये का Repayment भी

किया। अब जो शुद्ध ऋण है इस समय 30 हजार करोड़ रूपये का है। अभी केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में जो कमी है वह मैंने 2004 से लेकर 2020-21 तक बताया था और कुल मिलाकर हमको 1 लाख 41 हजार 285 करोड़ रूपये मिलना था, उसके अगेंस्ट में 1 लाख 26 हजार 130 करोड़ ही मिल पाया। तो कुल मिलाकर केंद्रीय करों में जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा है वह खैरात नहीं है। मनरेगा का मिलता है वह हमको खैरात में नहीं मिलता है, वह हमारा हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, 15154 करोड़ रूपये केंद्र सरकार से केंद्रीय कर का जो हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ का है उसको लेना है जो 15154 करोड़ रूपये है।

अध्यक्ष महोदय, इस कोरोनाकाल में भी बहुत जोरदार भाषण माननीय रमन सिंह जी का रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत उल्लेखनीय भाषण रहा है कि रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन। ये लक्षण तो कोरोना के होते हैं। (हंसी) डॉ. साहब, दोबारा तो नहीं हो गया? अब तो आईसोलेशन में जाने का समय है। वैसे भी पोलिटिकली आप आईसोलेट हो ही गए हैं। यहां कोई आपको नेता मानते नहीं, वहां के लोग आपको पूछते नहीं, तो पोलिटिकली आईसोलेशन की स्थिति है। बगल वाले भर साथ में हैं, बचत तो कोई साथ में दिखता नहीं है। पहली बार मुंडी हिलाये हैं, डॉक्टर साहब स्वीकार कर रहे हैं। (हंसी) अब कहां से स्वाद आयेगा? स्वाद तो आपको नॉन में आता था। आपको रंग खदानों में दिखाई देता था। नॉन में, खदान में, धान में और चिटफंड कंपनियों में आपको गंध मिलती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, घोटालों की बात बहुत हो रही है कि खूब घोटाले हो रहे हैं। 15 साल में जो गड़बड़ी की, हमने तो व्यवस्थित किया। आज अजय जी बहुत उत्तेजित हो गये थे। आदरणीय चौबे जी ने भाजपा के नेता का नाम भी नहीं लिया था, भाजपा का नाम आया ये तिलमिला गये। 9 साल तक अवैध यूरिया की सप्लाई केवल राजनांदगांव जिले से पूरे प्रदेश में आती रही, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। 15 साल में जो व्यवस्था बिगाड़े हैं ना, उसको ठीक करने में वक्त लगेगा। चाहे आप एग्रीकल्चर सेक्टर कहिए, चाहे पुलिस की कहिए, चाहे किसी विभाग में कहिए। खदान में आप तो केवल सरपंचों को देकर प्रदेश को जो नुकसान पहुंचाते थे उसकी कोई सीमा नहीं है। आज हमने टेंडर किया और केवल टेंडर में ही 25 करोड़ रूपये आ गये। इनको 10 करोड़ रूपये से ऊपर कभी आमदनी होती नहीं थी। हमने ये किया और जो राजस्व आयेगा, पंचायतों को 25 प्रतिशत add करके उनको वितरित किया जायेगा। जहां कहीं भी अवैध उत्खनन हो रहा है निश्चित रूप से शिकायत होगी, कार्रवाई की जायेगी। किसी को बख्शा नहीं जायेगा। आप भूमाफिया के बारे में क्या बात करेंगे? क्या-क्या नहीं हुआ? रायगढ़ जिले में क्या-क्या नहीं हुआ, बिलासपुर जिले में क्या-क्या नहीं हुआ, दंतेवाड़ा जिले में क्या-क्या नहीं हुआ? दंतेवाड़ा से लेकर रायगढ़ तक क्या-क्या हुआ यह बताने में बहुत समय लगेगा। तो भूमाफिया की बात कर रहे हैं तो आपके शासनकाल में सड़क भी नहीं बचती थी। जमीन की बात तो छोड़ दीजिए, सड़क भी नहीं बचती थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार है जो सार्वजनिक उपक्रम को बचाने का काम कर रही है। नगरनार को इसी पवित्र सदन में हमने पारित किया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कि नगरनार को राज्य सरकार खरीद लेगी। उसी प्रकार से जो चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल है, अब कह रहे थे कि उससे राज्य सरकार को क्या फायदा?

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पदक्रम 5 तक का कार्य पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

मानीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भोजन की व्यवस्था नहीं है?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने अवकाश बोला।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भोजन की व्यवस्था नहीं रखा जाना, यह सरकार की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी एक ही दिन खिलाकर थक गये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अभी पूरे सत्र के खिलायेंगे। आप चिंता मत करिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चंदूलाल चन्द्राकर मेमोरियल कॉलेज को क्यों अधिगृहित किया जा रहा है, उन छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए। इस प्रदेश में लोग डॉक्टर बनें इसके लिए अधिगृहित किया जा रहा है। इस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, इसके लिए अधिगृहित किया जा रहा है और चन्दूलाल चन्द्राकर बहुत बड़ा नाम है। जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के लिए खंदक की आखिरी लड़ाई लड़ने वाले लोगों में से एक उस व्यक्ति के नाम से महाविद्यालय है वह निजी हाथों में था उसका शासकीयकरण किया जायेगा। क्योंकि वह चला नहीं पा रहे थे बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा था। इस कारण से हमने निजीकरण किया है। अब तो लोग डर गये हैं कि आपने 70 सालों में क्या किया? जब 70 साल कहते हैं तो अटल जी को भी जोड़ लेते हैं, मोरार जी को भी जोड़ देते हैं और 47 से लेकर 70, वर्ष 2017 होता तो आप लोग तीन साल मोदी जी को भी जोड़ लेते, लेकिन अब हम नहीं बतायेंगे कि हमने 70 सालों में क्या किया? क्योंकि यदि हम बतायेंगे तो वह भी बिक जायेगा। अभी तो लगातार लाईन लगी हुई है कि ऐसे समय में इसको बेचना है। हमने नगरनार को कहा कि हम विनिवेशीकरण नहीं करने देंगे। यह प्रशासन के हाथ में रहे। एन.एम.डी.सी. चलाये और एन.एम.डी.सी. नहीं चला सकता है तो जैसे सी.एम.डी.सी., एन.एम.डी.सी. चलाता है उस प्रकार से चलाये। लेकिन यह नहीं बिकना चाहिए, यह बस्तर की भावनाओं का सवाल है, छत्तीसगढ़ के हितों का सवाल है और हमारी नीति की पूरे देश

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

और दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई है। एक तरफ जहां सबको निजीकरण किया जा रहा है वहां सार्वजनिक उपक्रमों को बचाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। इसकी प्रशंसा सब लोग कर रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना की बात बहुत हुई, लेकिन डॉ. साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं तो वह तो डॉक्टर ही हैं। उनके पास डिग्री है, लेकिन आपके शासनकाल में कितने वेंटिलेटर, आई.सी.यू., ऑक्सीजन बेड कितने थे ? मुझे बहुत दु:ख होता है आपने हॉस्पिटल बिल्डिंग बना तो दी, लेकिन आई.सी.यू. बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर कुछ भी नहीं था। आपने एम्स की तारीफ की। बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब से एम्स की तारीफ की, हम भी प्रशंसा करते हैं एम्स ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन हमारे डॉक्टरों, हमारे स्टाफ ने भी बहुत बढ़िया काम किया। हमारे स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया। स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि मोदी जी की तर्ज पर रमन सिंह जी भी कह देते नेहरू जी तो ऐसी संस्स्थाओं के खिलाफ थे, मोदी जी के कारण ही भारत में एम्स भिलाई स्टील प्लांट, एन.एम.डी.सी., आकाशवाणी, दूरदर्शन, राष्ट्रीयकृत बैंक सब बने हैं। ऐसा शायद कह देते, लेकिन आपके समय में वेंटिलेटर कितना था ? आपके समय में आई.सी.यू. बेड जीरो था। इस कोरोना काल में हमने 1668 बढ़ाया, पूरे शासकीय अस्पतालों में आई.सी.यू.बेड केवल 53 थे, हमने उसे बढ़ाकर 406 किया और माह मई तक वेंटिलेटर केवल 151 थे, उसको बढ़ाकर 514 किया गया। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी बात आयी कि कोरोना के टीका के मामले में आप कह रहे थे कि मैं माननीय साथियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या 3 करोड़ लोग ही भारत सरकार की जिम्मेदारी है ? क्या उनकी जिम्मेदारी 135 करोड़ लोगों के लिए नहीं है। क्या आप केवल बिहार के लोगों को फ्री में वेक्सिन बांटेंगे ? छत्तीसगढ़ के लोगों ने आपको नुकसान किया इसलिए आप फ्री में वेक्सिन नहीं देंगे ? यह कौन सी बात है ? हमारे पास पैसे की कमी नहीं है हम उसके लिए रखे हैं। जिस दिन भारत सरकार कह दे कि हम वैक्सिन नहीं देंगे, उस दिन छत्तीसगढ़ सरकार है। (मेजों की थपथपाहट) हम देंगे, लोगों को वैक्सिन लगाएंगे, लेकिन गलत-सलत मत भेजिए। मुखरता से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है इस कारण से यह वैक्सिन नहीं लगाया जाए। लेकिन उसी वैक्सिन को देख लीजिए, 11 राज्यों में केवल 1 प्रतिशत लगा है। अब विवाद इसलिए है कि हमारे महाराज साहब स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि वैक्सीन का तीसरा ट्रायल होगा, तब हम लगायेंगे। इसमें फिर आपको स्वीकार करना चाहिए। तीसरा ट्रायल क्यों कह रहे हैं? फिर 11 राज्यों में क्यों नहीं लग रहा है, उसमें केवल 1 प्रतिशत क्यों लगा? वही वैक्सीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय शैलेश पांडे जी नये सदस्य हैं लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से दमदारी से बात रखी, बहुत तर्कपूर्ण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ढंग से बात रखी, हमारे नये सदस्यों ने भी बहुत बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। इसी प्रकार से तैयारी करके सभी सदस्यों को आना चाहिए।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में फिर से कहना चाहूंगा, अजय चन्द्राकर जी, शिवरतन शर्मा जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, यह सब लोग तैयारी करके आते हैं। नये सदस्यों को भी चाहिए कि उसी प्रकार से तैयारी करके आयें, चाहे इस दल से हों या उस दल से हों। तैयारी करके आने से निश्चित रूप से आसंदी से समय मिलता है। जिस प्रकार से कल शैलेश पांडे जी ने जो बात रखी, उनको आसंदी से पूरा संरक्षण मिला। आप तर्कपूर्ण ढंग से, आंकडों के साथ, तथ्यात्मक बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा समय मिलेगा। आसंदी से पूरा संरक्षण मिलता है, आगे भी मिलेगा। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि माननीय वरिष्ठ सदस्य रविन्द्र चौबे जी, टी.एस.सिंहदेव जी, अकबर भाई हैं, यह हमारे आंकडों के बाजीगर हैं। इन सब लोगों से आप लोगों को सीखना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमितेश शुक्ल जी।

श्री भूपेश बघेल :- अमितेश जी तो आजकल बिल्कुल फार्म में हैं, एंग्री यंग मैन। मैं आप सबको पुन: माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जितने संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर एक साथ मत ले लिया जाये।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - " माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>अशासकीय संकल्प</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में शामिल अशासकीय संकल्प आगामी शुक्रवार को लिये जायेंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 01 मार्च, 2021 को 11.00 बजे दिन के लिए स्थगित।

(अपरान्ह 1 बजकर 38 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 01 मार्च, 2021 (फाल्गुन 10, शक सम्वत् 1942) के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छत्तीसगढ़)

प्रमुख सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2021

छत्तीसगढ़ विधान सभा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं